

परिशिष्ट

परिशिष्ट - 1.1

(संदर्भ : मध्य प्रदेश की रूपरेखा, कांडिका 1.6.1, 1.8.2 ; पृष्ठ 1, 12, 30)

राज्य रूपरेखा (मध्य प्रदेश)

सामान्य आंकड़े ¹				
सरल क्र.	विवरण	आंकड़े		
1	क्षेत्र	3,08,245 वर्ग कि.मी.		
2	जनसंख्या			
	क. 2001 की जनगणना के अनुसार	6.03 करोड़		
	ख. 2010-2011	7.26 करोड़		
3	क. जनसंख्या का घनत्व (2001 की जनगणना के अनुसार) (अधिल भारतीय घनत्व =325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ²)	196 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी		
	ख. जनसंख्या का घनत्व (2011 की जनगणना के अनुसार) (अधिल भारतीय घनत्व =382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ²)	236 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी		
4	गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या ³ (अधिल भारतीय औसत=27.5 प्रतिशत)	38.30 प्रतिशत		
5	क. साक्षरता (2001 की जनगणना के अनुसार) (अधिल भारतीय औसत = 64.8 प्रतिशत)	69.69 प्रतिशत		
	ख. साक्षरता (2011 की जनगणना के अनुसार) (अधिल भारतीय औसत = 74.0 प्रतिशत)	70.63 प्रतिशत		
6	शिशु मृत्यु दर ⁴ (प्रति 1000 जीवित बच्चे) (अधिल भारतीय औसत =50 प्रति 1000 जीवित बच्चे)	67		
7	जन्म के समय जीवित रहने की आशा ⁵ (अधिल भारतीय औसत=63.5 वर्ष)	58 वर्ष		
8	जिनी कोएफीशियेन्ट ⁶			
	क. ग्रामीण (अधिल भारतीय=0.30)	0.27		
	ख. शहरी (अधिल भारतीय=0.37)	0.39		
9	सकल राज्य घरेलू उत्पाद चालू मूल्य पर 2010-11	₹ 2,71,681 करोड़		
10	सकल राज्य घरेलू उत्पाद संयोजित वार्षिक वृद्धि दर (2001-02 से 2010-11)	13.51 प्रतिशत		
11	सकल राज्य घरेलू उत्पाद संयोजित वार्षिक वृद्धि दर (2001-02 से 2010-11)	10.04 प्रतिशत		
12	सकल राज्य घरेलू उत्पाद संयोजित वार्षिक वृद्धि दर (2001-02 से 2009-10)	प्रथम प्रदेश सामान्य संवर्ग के राज्य	10.62 प्रतिशत 13.37 प्रतिशत	
13	जनसंख्या वृद्धि दर (2001-11)	प्रथम प्रदेश सामान्य संवर्ग के राज्य	20.30 प्रतिशत 17.56 प्रतिशत	
ख.	वित्तीय आंकड़े ⁷			
	विवरण	आंकड़े (प्रतिशत में)		
	संयोजित वार्षिक वृद्धि दर	2001-02 से 2009-10		
		सामान्य संवर्ग के राज्य	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश
क	राजस्व की प्राप्तियों के	15.20	17.74	18.53
ख	स्वयं के कर के राजस्व के	14.53	17.73	18.39
ग	कर भिन्न राजस्व के	13.87	18.86	15.18
घ	कुल व्यय के	13.53	14.23	14.92
झ	पूँजीगत व्यय के	22.61	23.42	21.96
च	शिक्षा पर राजस्व व्यय के	12.41	14.48	16.40
छ	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय के	11.97	11.41	13.21
ज	वेतन एवं भर्तों के	12.59	11.98	11.82
झ	ऐन्शन के	14.09	14.93	15.72

¹ सामान्य आंकड़े के लोत² गरीबी रेखा से नीचे (योजना आयोग एवं एन एस एस ओ भाटा, 61वां वर्क)³ शिशु मृत्यु दर (एस आर एस बुलेटिन् जनवरी 2011)⁴ जन्म के समय जीवित रहने की आशा (भारत के महापंचीक का कार्यालय, गृह मन्त्रालय, आर्थिक सर्वेक्षण 2010-11)⁵ जिनी कोएफीशियेन्ट (योजना आयोग का असासकीय अनुमान तथा एन एस एस ओ भाटा, 61वां वर्क 2004-05 एम आर पी) जिनी कोएफीशियेन्ट जनसंख्या में आय वितरण की असमानता का माप है। जहाँ मूल्य दर शून्य से एक तक है, शून्य के निकट असमानता कम है, एक के नजदीक असमानता ज्यादा है।⁶ वित्तीय आंकड़े राज्य सरकार के वित्त लेखे के आंकड़े पर आधारित हैं।

परिशिष्ट - 1.2**(संदर्भ : कंडिका 1.1 ; पृष्ठ 1)****भाग क: शासकीय लेखाओं की संरचना एवं स्वरूप**

शासकीय लेखाओं की संरचना: राज्य सरकार के लेखाओं को तीन भागों में रखा जाता है (i) संचित निधि (ii) आकस्मिकता निधि तथा (iii) लोक लेखा

भाग I : संचित निधि:- राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राजकोष विपत्र जारी कर लिए गए सभी ऋण, आन्तरिक एवं बाह्य ऋण तथा ऋणों के पुनर्भुगतान में शासन द्वारा प्राप्त सभी धन राशियाँ भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अंतर्गत स्थापित राज्य की संचित निधि नामक एक समेकित निधि का निर्माण करती हैं।

भाग-II : आकस्मिकता निधि:- संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अंतर्गत स्थापित राज्य की संचित निधि राज्यपाल के विवेकाधीन रखे गए एक अग्रदाय के रूप में होती है जिससे वह विधानमंडल के अनुमोदन के लंबित होने की स्थिति में अत्यावश्यक अनवेक्षित व्यय की पूर्ति के लिए अग्रिमों की व्यवस्था कर सकता है। बाद में ऐसे व्यय के लिए एवं संचित निधि से समतुल्य राशि के आहरण हेतु विधान मंडल का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है जिससे आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिमों की पूर्ति की जाती है।

भाग-III : लोक लेखा :- कुछ लेनदेनों जैसे लघु बचतों, भविष्य निधियों, आरक्षित निधियों, निक्षेपों, उचन्त, प्रेषणों आदि से संबंधित प्राप्तियाँ एवं संवितरणों को जो संचित निधि के भाग का निर्माण नहीं करते हैं, संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखा में रखे जाते हैं और इन पर राज्य विधानमंडल द्वारा मतदान नहीं किया जाता है।

परिशिष्ट - 1.2 भाग ख: वित्त लेखे की रूपरेखा

विवरण	रूपरेखा
वित्त लेखों को दो भागों में विभाजित किया गया है। भाग-1 में सामान्य रूप से समझाने योग्य संक्षिप्त पत्रकों में सरकार के वित्तीय विवरण हैं, जबकि इनके विस्तृत विवरण भाग-2 में दिए गए हैं।	
खण्ड -I भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र सहित चार संक्षिप्त पत्रक जैसा नीचे वर्णित है एवं लेखांकन नीतियों को समाविष्ट करते हुए लेखाओं पर टिप्पणी से संबंधित है।	
विवरण पत्रक क्र.1	वित्तीय स्थिति का विवरण: सरकार की परिसम्पत्तियों और देयताओं से संबंधित संचयी आंकड़े जो कि वर्षान्त में थे विवरण में प्रदर्शित किए गए हैं। प्रगामी पूँजीगत परिव्यय जो सरकार की भौतिक परिसम्पत्तियों को प्रदर्शित करता है परिसम्पत्तियां वृहद् रूप से सरकार की भौतिक परिसम्पत्तियों को दर्शाने वाले प्रगामी पूँजीगत व्यय के आंकड़ों सहित वित्तीय परिसम्पत्तियां हैं। परिसम्पत्तियां लेखांकन नीतियों के अनुसार ऐतिहासिक मूल्यों पर प्रदर्शित की गई हैं।
विवरण पत्रक क्र.2	प्राप्तियाँ एवं संवितरणों का विवरण: यह संक्षिप्त विवरण है जिनमें सरकार के लेखों जो तीन भागों में रखे जाते हैं यथा समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा में वर्ष के दौरान सरकार की समस्त प्राप्तियां और व्यय को प्रदर्शित करती है। पुनः समेकित निधि में राजस्व और पूँजीगत लेखाओं की प्राप्तियों और व्यय को पृथक रूप से दर्शित किया गया है।
विवरण पत्रक क्र.3	प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि): इस विवरण में राजस्व और पूँजीगत प्राप्तियों तथा सरकार द्वारा ऋण के रूप में भारत सरकार से, अन्य संस्थाओं से, बाजार से सरकार द्वारा लिए ऋण तथा सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम की वसूलियों की प्राप्तियों का समावेश है।

विवरण पत्रक क्र.4	व्यय का विवरण (समेकित निधि): यह विवरण न केवल क्रियात्मक रूप से व्यय के विवरण देता है अपितु कार्यकलापों की प्रकृति (व्यय का उद्देश्य) के रूप में व्यय के संक्षिप्तीकरण को भी प्रस्तुत करता है।
इसके अतिरिक्त खण्ड में एक परिशिष्ट भी सम्मिलित है। परिशिष्ट-I जो नकद शेष तथा नकद शेषों के निवेश का एक विवरण पत्र है।	खण्ड II में तीन भाग हैं। भाग I में निम्नानुसार छः विवरण पत्रक हैं:
विवरण पत्रक क्र.5	प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण: इस विवरण में क्रियात्मक रूप से विस्तृत प्रगामी पूँजीगत व्यय दर्शित है, जिसका योग विवरण संख्या - 1 में दिया गया है।
विवरण पत्रक क्र. 6	उधार एवं अन्य देयताओं का विवरण: सरकार द्वारा लिए उधार में सरकार द्वारा लिए गए बाजार ऋण (आंतरिक ऋण), भारत सरकार से प्राप्त ऋण तथा अग्रिम समाहित है। यह दोनों एक साथ में सरकार के लोक ऋण के भाग है। इसके अतिरिक्त यह संक्षिप्त विवरण अन्य दायित्वों को दर्शाता है जो कि लोक लेखे के विभिन्न खण्डों के शेष हैं। पश्चात्वर्ती के संबंध में सरकार निधियों के न्यासी और द्रस्टी के रूप में कार्य करती है, एतदर्थ यह सरकारी दायित्व का विनिर्माण करती है। इस विवरण पत्रक में ऋण सेवा पर टीप यथा राजस्व प्राप्तियों से प्रतिपूरित निवल ब्याज की मात्रा पर टीप निहित है।
विवरण पत्रक क्र. 7	सरकार द्वारा दिए गए कर्ज का विवरण: राज्य सरकार द्वारा दिये गए कर्ज तथा अग्रिम विवरण संख्या 1 में दिए गए हैं तथा प्राप्तियों और संवितरण विवरण संख्या 2,3 तथा 4 में दर्शित हैं। यहाँ सेक्टर तथा ऋणी समूहवार ऋण एवं अग्रिमों का संक्षिप्तीकरण किया गया है। इसके नीचे ऋणों के संदर्भ में बकाया कटौतियां हैं, जिसके विस्तृत ब्यौरे महालेखाकार कार्यालय व राज्य सरकार के विभागों द्वारा संधारित किए जाते हैं, की टीप भी दी गई।
विवरण पत्रक क्र. 8	राज्य सरकार द्वारा दिए गए सहायता अनुदानों का विवरण: समूहवार ग्राहीता संस्थाओं द्वारा संगठित किया जाता है। इसमें सामग्री के रूप में दी गई सहायता अनुदान पर टीप भी सम्मिलित है।
विवरण पत्रक क्र. 9	सरकार द्वारा दी गई गारंटीयों का विवरण: वर्ष के दौरान सांविधिक निगमों, शासकीय कम्पनियों, स्थानीय संस्थाओं और अन्य संस्थाओं द्वारा उद्भूत ऋणों आदि के पुनर्भुगतान हेतु राज्य सरकार द्वारा दी गारंटी तथा वर्ष की परिसमाप्ति पर लंबित गारंटी राशियों को इस पत्रक में दर्शाया गया है।
विवरण पत्रक क्र. 10	दत्तमत तथा प्रभारित व्यय का विवरण: यह विवरण सरकार के दत्तमत्त तथा प्रभारित व्यय को प्रस्तुत करता है।
खण्ड II भाग II:	इस भाग में खण्ड I एवं खण्ड II के भाग I के विवरण पत्रकों की तदनुरूपी 9 विवरण पत्रक है, जो लघु शीर्ष वार विस्तृत लेन-देनों को प्रदर्शित करते हैं।
विवरण पत्रक क्र.11	राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों का लघुशीर्ष वार ब्यौरेवार विवरण: यह विवरण सरकार के राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों को विस्तार से प्रदर्शित करता है।
विवरण पत्रक क्र.12	राजस्व व्यय का लघुशीर्ष वार ब्यौरेवार विवरण: यह विवरण विस्तार में सरकार के राजस्व व्यय को प्रदर्शित करता है। आयोजन एवं आयोजनेतर आंकड़े पृथक से दर्शित करते हुए इनका पूर्व वर्षों के आंकड़ों से तुलनात्मक स्वरूप प्रस्तुत किया जाता है।

विवरण पत्रक क्र.13	पूंजीगत व्यय का ब्लौरेवार विवरण: इस विवरण सरकार के पूंजीगत व्यय के विवरणों को विस्तार से प्रदर्शित करता है। आयोजना एवं आयोजनेतर आंकड़ों को पृथक से प्रदर्शित करते हुए पूर्व वर्ष के आंकड़ों से तुलनात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। वर्षान्त तक संचयी पूंजीगत व्यय को भी इसमें दिखाया जाता है।
विवरण पत्रक क्र.14	सरकार के निवेशों का ब्लौरेवार विवरण: इस विवरण में चालू तथा पूर्व वर्ष के विभिन्न प्रतिष्ठानों में अंशपूंजी तथा ऋणपत्र में शासकीय निवेश की स्थिति प्रदर्शित की गई है। विवरण में शेयरों के प्रकार, अंकित मूल्य, प्राप्त लाभांश इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है।
विवरण पत्रक क्र.15	उधार तथा अन्य दायित्वों का ब्लौरेवार विवरण: लघुशीर्ष स्तर तक उधारों के विवरण (सरकार द्वारा उठाये गए बाजार ऋण तथा भारत सरकार से कर्ज आदि) उनकी परिपक्वता, सभी ऋणों के पुनर्भुगतान की रूपरेखा इस विवरण पत्रक में प्रस्तुत की गई है। यह खण्ड-II के भाग - I के विवरण 6 के तदनुरूपी विस्तृत विवरण है।
विवरण पत्रक क्र.16	सरकार द्वारा दिये गये कर्ज एवं पेशगियों का ब्लौरेवार विवरण: सरकार द्वारा दिये गये कर्ज एवं पेशगियों, के ब्योरे कर्ज के शेषों में परिवर्तन, अपलिखित कर्ज, ऋणों पर प्राप्त व्याज आदि के विस्तृत विवरण इस पत्रक में दर्शित किए गए हैं। यह आयोजना कर्जों को भी पृथक से दर्शित करता है। यह खण्ड - II के विवरण संख्या 7 के तदनुरूपी विस्तृत विवरण है।
विवरण पत्रक क्र.17	राजस्व लेखे के अतिरिक्त व्यय के लिए निधियों के स्रोतों एवं अनुपयोग का ब्लौरेवार विवरण: पूंजीगत एवं अन्य व्यय, (राजस्व लेखे के अतिरिक्त व्यय के लिए निधियों के स्रोत) इस विवरण पत्रक में दिखाये गए हैं।
विवरण पत्रक क्र.18	आकस्मिकता निधि, लोक लेखा और अन्य लेन-देनों का ब्लौरेवार विवरण: यह विवरण पत्रक आकस्मिकता निधि में वर्ष के दौरान परिवर्तनों निधि को विनियोजन, व्यय, प्रतिपूरित राशि इत्यादि को दर्शाता है। यह लोक लेखा में लेन-देनों का विस्तृत विवरण भी दर्शाता है।
विवरण पत्रक क्र.19	उद्दिष्ट शेषों के विवरण दर्शाने वाला विवरण पत्रक: यह विवरण पत्रक लोक लेखा के अंतर्गत आरक्षित निधियों से किए गए निवेश को दर्शाता है।
खण्ड II भाग III: इस भाग में परिशिष्ट है।	

परिशिष्ट - 1.2 समाप्त
(संदर्भ : कडिका 1.1 ; पृष्ठ 2)
भाग-ग

पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य की 31 मार्च 2011 को परिसंपत्तियों एवं देयताओं का उत्तरवर्ती मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों के मध्य विभाजन दर्शने वाला विवरण पत्र

(₹ करोड़ में)

मर्दें	31 अक्टूबर 2000 को शेष	विभाजन		विभाजन लंबित होने के कारण मध्य प्रदेश के लेखाओं में रोककर रखे गये शेष	वित्त लेखे की विवरण पत्रक संख्या का संदर्भ
		मध्य प्रदेश	छत्तीसगढ़		

I- देयताएं

1. अल्प बचतें, भविष्य निधियां आदि	7371.51	5570.57	1239.45	561.49	17 एवं 18
2. निष्केप	1872.19	1516.52	358.05	(-) 2.38	17 एवं 18
3. आरक्षित निधियां	657.94 (क)	45.49	11.55	102.46 (ख)	17 एवं 18
4. उचन्त एवं विविध शेष	39.58	25.46	5.93	8.18 (ग)	18

II- परिसम्पत्तियां

1. सकल पूँजीगत परिव्यय	15760.57	4993.86	1499.12	8788.75 (घ)	5 एवं 13
2. ऋण एवं अग्रिम	2883.18	559.83	135.91	2186.62 (ङ.)	7 एवं 16
3. गारंटियां	9709.60	--	--	1487.76	9

टिप्पणी : और अधिक विवरणों हेतु वित्त लेखे देखें ।

- (क) मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 42(1) के द्वितीय परन्तुक के अनुसार कुल ₹657.94 करोड़ में से ₹498.44 करोड़ छोड़ दिये गये ।
- (ख) भारत सरकार का निर्णय लंबित होने के कारण मध्य प्रदेश में रोककर रखे गये ।
- (ग) विवरणों के अभाव में मध्य प्रदेश में रोककर रखे गये ।
- (घ) ₹478.85 करोड़ की प्रोफार्मा कमी के कारण ₹9267.59 करोड़ के आकंड़ों में अन्तर ।
- (ङ.) उत्तराधिकारी राज्यों से निर्णयों /विवरणों के प्राप्त न होने के कारण मध्य प्रदेश में रोककर रखे गये ।

परिशिष्ट - 1.3

(संदर्भ : कण्ठिका 1.1 ; पृष्ठ 1)

राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन हेतु अंगीकृत प्रणाली

भाग -क

चयनित राजकोषीय बदलाव के लिये बारहवें वित्त आयोग द्वारा राजकोषीय संचयों को मूर्त रूप देने हेतु अपने लक्ष्यों सहित निर्धारित मापदण्ड/परिसीमन और राज्य सरकार द्वारा अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियमों तथा अधिनियम (**परिशिष्ट-1.3 का भाग-ख**) के अधीन विधानसभा के पटल पर रखे जाने हेतु आवश्यक अन्य विवरण पत्रों में दी गई वचनबद्धताएँ/निर्धारित लक्ष्यों का उपयोग प्रमुख राजकोषीय संचयों की प्रवृत्ति तथा प्रणाली के गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन हेतु किया जाता है। यह मान लेने पर कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद राज्य की अर्थव्यवस्था के निष्पादन का एक अच्छा संकेतक है, प्रमुख राजकोषीय संचय जैसे कर एवं कर भिन्न राजस्व, राजस्व एवं पूँजीगत व्यय, आन्तरिक ऋण एवं राजस्व तथा राजकोषीय घाटा चालू बाजार मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद द्वारा प्रस्तुत आधार के सन्दर्भ में सम्बद्ध राजकोषीय बदलाव हेतु गुणांक उत्पादकता का भी यह मूल्यांकन करने हेतु आंकलन किया गया है कि क्या संसाधनों का संघटन, व्यय की पद्धति आदि आधार में परिवर्तन आदि की गति के साथ तालमेल रख सकते हैं अथवा ये राजकोषीय संचय सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अलावा अन्य घटकों द्वारा भी प्रभावित होते हैं।

अन्तिम पाँच वर्षों के लिये सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति निम्नानुसार है;

सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	144577	161479	196556	227065	271681
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर* (प्रतिशत में)	16.34	11.69	21.72	15.52	19.65

(स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित अनुसार)

*2006-11 अवधि के लिये सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमानों में संशोधन किये गये हैं तदनुसार 2006-11 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सन्दर्भ में विभिन्न पैरामीटर का प्रतिशत सम्बन्धी अनुपात/उत्पादकता में भी संशोधन किये गये हैं।

राजकोषीय संचय की प्रवृत्ति तथा पद्धति के मूल्यांकन में प्रयुक्त कुछ चयनित शब्दों की परिभाषा निम्नानुसार है:

शब्द	गणना का आधार
मानदण्डों की उत्प्लावकता	मानदण्ड की वृद्धि दर/सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर
मानदण्ड (भ) की अन्य मापदण्ड (म) के सन्दर्भ में उत्प्लावकता	मानदण्ड (भ) की वृद्धि दर/मानदण्ड (म) की वृद्धि दर
वृद्धि दर	[(चालू वर्ष की राशि/विगत वर्ष की राशि)-1]* 100
विकास व्यय	सामाजिक सेवाएं + आर्थिक सेवाएं
राज्य द्वारा प्रदत्त औसत ब्याज	ब्याज भुगतान/[(पूर्ववर्ती वर्ष की राजकोषीय देयताएं + चालू वर्ष की राजकोषीय देयताएं)/2]*100
ब्याज प्रसार	सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि (-) औसत ब्याज दर
प्रमात्रा प्रसार	ऋण स्टॉक* ब्याज प्रसार
बकाया ऋणों के प्रतिशत के रूप में प्राप्त ब्याज	प्राप्त ब्याज/ [(ऋणों तथा अग्रिमों का प्रारम्भिक शेष + अन्त शेष)/2]*100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्तियां- राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय+पूँजीगत व्यय+निवल ऋण तथा अग्रिम-राजस्व प्राप्तियां-विविध पूँजीगत प्राप्तियां
प्रारम्भिक घाटा	राजकोषीय घाटा-ब्याज भुगतान
चालू राजस्व से शेष	2048-ऋण के परिहार की कमी हेतु विनियोग के अन्तर्गत विकलनों को छोड़ कर समस्त आयोजना अनुदानों तथा आयोजनेतर राजस्व व्यय को घटा कर राजस्व प्राप्तियां

परिशिष्ट - 1.3 जारी

भाग - ख

(संदर्भ : कण्डिका 1.1 ; पृष्ठ 1)

राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005

राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 बनाया है जो राजकोषीय प्रबन्धन में बुद्धिमता सुनिश्चित करने हेतु तथा राजस्व घाटे में उत्तरोत्तर कमी करके राजकोषीय स्थिरता, राजकोषीय घाटे में कमी, राजकोषीय धारणीयता के अनुरूप विवेकपूर्ण त्रैण प्रबन्धन, सरकार के राजकोषीय कार्यक्रमों में अत्यधिक पारदर्शिता और मध्यम कालीन संरचना में राजकोषीय नीति के संचालन तथा उससे सम्बन्धित अथवा प्रासंगिक मामलों हेतु 1 जनवरी 2006 से प्रभावशील हुआ था। अधिनियम में निर्दिष्ट तथा/अथवा उसके अधीन बनाये गये नियमों (30 जनवरी 2006) के अनुसार राजकोषीय प्रबन्धन उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित राजकोषीय लक्ष्य निर्धारित किये गये थे।

- प्रत्येक वित्त वर्ष में राजस्व घाटा कम करना जिससे कि 31 मार्च 2009 तक यह समाप्त हो जाये और इसके पश्चात राजस्व अधिशेष निर्मित हो जाए,
- प्रत्येक वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा कम करना जिससे कि 31 मार्च 2009 तक यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद का तीन प्रतिशत से अधिक न हो। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की सीमा में सभी राज्यों को चार प्रतिशत की राहत दी है,
- यह सुनिश्चित करना कि 10 वर्षों की अवधि में अर्थात् 31 मार्च 2015 तक उक्त वर्ष के लिये कुल देयताएं अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 40 प्रतिशत से अधिक न हो और
- वार्षिक संवृद्धिता गारंटियों को सीमित करना जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि चालू वर्ष की कुल गारंटियां पूर्व वर्ष की कुल राजस्व प्राप्तियों के 80 प्रतिशत से अधिक न हो।

परन्तु शर्त यह है कि राजस्व घाटा तथा राजकोषीय घाटा भारतीय संघ के बजट अनुमान के सन्दर्भ में केन्द्रीय कर अन्तरण में कमी तथा/अथवा आन्तरिक अशान्ति अथवा प्राकृतिक आपदा अथवा ऐसे अन्य अपवादीय आधार जिनका विवरण राज्य सरकार विशेष रूप से दे सके, के कारण इस धारा के अधीन निर्दिष्ट सीमा से अधिक हो सकेगा।

राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम/नियमों में यथा निर्दिष्ट राजकोषीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये पथदर्शी मान चित्र

राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार ने 2010-11 हेतु बजट अनुमान के साथ (क) वृहद् आर्थिक रूप रेखा विवरण पत्र, (ख) मध्यमकालीन राजकोषीय नीति विवरण पत्र एवं (ग) राजकोषीय नीति विवरण पत्र प्रस्तुत किये हैं। चयनित संकेतकों के लिये 2008-09 हेतु वास्तविक आंकड़े, 2009-10 हेतु पुनरीक्षित अनुमान तथा 2010-11 हेतु बजट अनुमान मध्यमकालिक राजकोषीय नीति विवरण पत्र में प्रस्तुत किये गये हैं (परिशिष्ट - 1.3 भाग-ग)।

परिशिष्ट - 1.3 समाप्त

(संदर्भ : कण्ठिका 1.1 ; पृष्ठ 1)

भाग -ग

चयनित राजकोषीय संकेतकों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

संख्या क्र.	राजकोषीय संकेतक	2008-09 के लिए	पिछला वर्ष	वालू वर्ष	2008-09 की तुलना में पिछले वर्षों में प्रतिशत परिवर्तन	पिछले वर्ष की तुलना में वालू वर्ष में प्रतिशत परिवर्तन
			2009-10 पुनरीक्षित अनुमान	2010-11 बजट अनुमान		
1	2	3	4	5	6	7
1	राजस्व प्राप्तियाँ (2+3+4)	33577.21	43284.39	43443.82	28.91	0.37
2	कर राजस्व (2.1+2.2)	24380.64	28489.37	29717.59	16.85	4.31
2.1	राज्य कर	13613.50	17441.96	18670.18	28.12	7.04
2.2	केन्द्रीय करों में भागीदारी	10767.14	11047.41	11047.41	2.60	-
3	कर भिन्न राजस्व	3342.86	6262.30	4322.46	87.33	-30.98
4	केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान	5853.71	8532.72	9403.77	45.77	10.21
5	पूँजीगत प्राप्तियाँ(6+7+8)	4974.89	7305.09	8126.77	46.84	11.25
6	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	78.41	64.32	60.46	-17.97	-6.00
7	निवल लोक ऋण	4591.96	6845.12	7469.54	49.07	9.12
8	लोक लेखा से निवल प्राप्तियाँ	304.52	395.65	596.77	29.93	50.83
9	कुल प्राप्तियाँ(1+5)	38552.10	50589.48	51570.59	31.22	1.94
10	राजस्व व्यय(10.1+10.2)	29513.88	37976.84	41863.26	28.67	10.23
10.1	आयोजनेतर राजस्व व्यय	21892.29	26562.46	29212.64	21.33	9.98
10.2	आयोजना राजस्व व्यय	7621.59	11414.38	12650.62	49.76	10.83
10.3	राजस्व व्यय जिसमें से					
10.3.1	ब्याज भुगतान	4191.99	4794.10	5051.83	14.36	5.38
10.3.2	आर्थिक सहायता	10479.85	13742.87	15144.95	31.14	10.20
10.3.3	मजदूरी एवं वेतन	8546.59	10611.23	12516.55	24.15	17.96
10.3.4	पेंशन भुगतान	2433.05	3151.85	3305.03	29.54	4.86
11	पूँजीगत व्यय (11.1+11.2)	6713.15	8082.08	8024.72	20.39	-0.71
11.1	आयोजनेतर पूँजीगत व्यय	209.70	65.57	31.71	-68.73	-51.64
11.2	आयोजना पूँजीगत व्यय	6503.45	8016.51	7993.01	23.27	-0.29
12	ऋण एवं अग्रिम (12.1+12.2)	1862.19	3883.32	1619.33	108.54	-58.30
12.1	आयोजनेतर ऋण एवं अग्रिम	1185.01	3054.67	323.83	157.78	-89.40
12.2	आयोजना ऋण एवं अग्रिम	677.18	828.65	1295.50	22.37	56.34
13	कुल व्यय (3.1+13.2)	38089.22	49942.24	51507.31	31.12	3.13
13.1	आयोजनेतर व्यय (10.1+11.1+12.1)	23287.00	29682.70	29568.18	27.46	-0.39
13.2	आयोजना व्यय (10.2+11.2+12.2)	14802.22	20259.54	21939.13	36.87	8.29
14	राजस्व घाटा (1-10)	4063.33	5307.55	1580.56	30.62	-70.22
15	राजकोषीय घाटा (1+6-13)	-4433.60	-6593.53	-8003.03	48.72	21.38
16	प्राथमिक घाटा [1+6-(13-10.3.1)]	-241.61	-1799.43	-2951.20	644.77	64.01

परिशिष्ट - 1.4

(संदर्भ : कण्ठिका 1.6, 1.7, 1.10.2, 1.11.3 ; पृष्ठ 8, 14, 33 एवं 37)

राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति के समयबद्ध आंकड़े

(₹ करोड़ में)

भाग के प्राप्तियां	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
1. राजस्व प्राप्तियां	25694	30689	33577	41395	51854
(i) कर राजस्व	10473(41)	12018(39)	13614(41)	17273 (42)	21419(41)
कृषि आय पर कर	--	--	--	--	--
विक्रय, व्यापार आदि पर कर	5261(50)	6045(50)	6843(50)	7724 (45)	10257(48)
राज्य आबकारी	1547(15)	1854(15)	2302(17)	2952 (17)	3603(17)
वाहनों पर कर	634(6)	703(6)	773(6)	919 (5)	1198(6)
मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क	1251(12)	1532(13)	1479(11)	1783 (10)	2514(12)
भू राजस्व	132(1)	129(1)	339(2)	180 (1)	361(2)
माल तथा यात्रियों पर कर	745(7)	916(8)	1333(10)	1333 (8)	1746(8)
अन्य कर	903(9)	839(7)	545(4)	2382 (14)	1740(8)
(ii) कर भिन्न राजस्व	2658(10)	2738(9)	3343(10)	6382 (15)	5720(11)
(iii) संघ करों तथा शुल्कों में राज्य का अंश	8089(31)	10203(33)	10767(32)	11077 (27)	15638(30)
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	4474(17)	5730(19)	5853(17)	6663 (16)	9077(18)
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियां	9	11	24	22	367
2 क. अन्तर्राज्यीय निपटान	1	2	1	3	2
3. ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियां	28	105	54	23	34
4. कुल राजस्व तथा ऋणेतर पूँजीगत प्राप्तियां (1+2+2क+3)	25732	30807	33656	41443	52257
5. लोक ऋण प्राप्तियां	4603	3371	6553	8603	7458
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय पेशगियां तथा अधिविकर्ष छोड़ कर)	4172(91)	2832(84)	5399(82)	7258 (84)	6363(85)
अर्थोपाय पेशगियों तथा अधिविकर्षों के अधीन निवल लेनदेन	--	--	--	--	--
भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिम	431(9)	539(16)	1154(18)	1345 (16)	1095(15)
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (4+5)	30335	34178	40209	50046	59715
7. आकस्मिक निधि प्राप्तियां	68	--	--	--	--
8. लोक लेखा प्राप्तियां	32225	39896	46460	52353	65675
9. राज्य की कुल प्राप्तियां (6+7+8)	62628	74074	86669	102399	125390
भाग-ख व्यय/संविवरण					
10. राजस्व व्यय	22363(79)	25601(76)	29514(77)	35897 (75)	45012(78)
आयोजना	5452(24)	6806(27)	7622(26)	9838 (27)	12911(29)
आयोजनेतर	16911(76)	18795(73)	21892(74)	26059 (73)	32101(71)
सामान्य सेवाएं (व्याज भुगतानों सहित)	8602(38)	9354(37)	10162(34)	12014 (34)	14647(33)
सामाजिक सेवाएं	7577(34)	8146(32)	10146(34)	12962 (36)	17345(39)
आर्थिक सेवाएं	4880(22)	6537(25)	7431(25)	8371 (23)	10084(22)
सहायता अनुदान तथा अंशदान	1304(6)	1564(6)	1775(6)	2550 (7)	2935(7)
11. पूँजीगत व्यय	5170(18)	6833(20)	6713(18)	7925 (17)	8800(15)
आयोजना	4855(94)	6511(95)	6503(97)	7864 (99)	8657(98)
आयोजनेतर	315(6)	322(5)	210(3)	61 (1)	143(2)
सामान्य सेवाएं	71(1)	74(1)	125(2)	119 (1)	179(2)
सामाजिक सेवाएं	722(14)	1141(17)	1295(19)	1178 (15)	1532(17)
आर्थिक सेवाएं	4377(85)	5618(82)	5293(79)	6628 (84)	7089(81)

(₹ करोड़ में)

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
12. ऋण तथा अग्रिमों का संवितरण	953(3)	1155(3)	1861(5)	3817 (8)	3715(6)
12 क. अन्तर्राजीय निपटान	1	2	1	3	2
13. योग (10+11+12+12क)	28487	33591	38089	47642	57529
14. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	1732	1677	1961	2394	2529
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय पेशगियों तथा अधिविकर्षों को छोड़ कर)	989	1240	1516	1938	2012
अर्थोपाय पेशगियों तथा अधिविकर्षों के अधीन निवल लेनदेन	--	--	--	--	--
भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिम	743	437	445	456	517
15. आकस्मिक निधि में विनियोग	60	--	--	--	--
16. समेकित निधि में से कुल संवितरण (13+14+15)	30279	35268	40050	50036	60058
17. आकस्मिक निधि संवितरण	--	--	--	--	--
18. लोक लेखा संवितरण	30769	39423	45989	50872	62344
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	61048	74691	86039	100908	122402
भाग-ग घाटे					
20. राजस्व घाटे (-)/राजस्व अधिशेष (+) (1-10)	3331	5088	4063	5498	6842
21. राजकोषीय घाटा (-)/राजकोषीय अधिशेष (+) (4-13)	-2755	-2784	-4433	-6199	-5272
22. प्राथमिक घाटा (-)/अधिशेष (+) (21+23)	1274	1407	-241	-1745	-223
भाग घ.अन्य आंकड़े					
23. व्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	4029	4191	4192	4454	5049
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	767	898	1087	1434	9117
25. ली गई अर्थोपाय पेशगियां तथा अधिविकर्ष (दिन)	--	--	--	--	--
ली गई अर्थोपाय पेशगियां (दिन)	--	--	2	--	--
लिया गया अधिविकर्ष (दिन)	--	--	--	--	--
26. अर्थोपाय पेशगियों/अधिविकर्षों पर व्याज	--	--	0.01/00	--	--
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद ⁷	144577	161479	196556	227065	271681
28. बकाया राजकोषीय देयताएं (वर्ष के अन्त में)	53280	55311	60432	67853	75504
29. बकाया गारंटियां (वर्ष के अन्त में व्याज सहित)	866	856	1930	1630	5111
30. गारंटी की अधिकतम राशि (वर्ष के अन्त में)	12424	12086	11991	11823	8439
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	N.A.	3 ⁸	N.A.	N.A.	N.A.
32. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध निधियाँ	N.A.	13	N.A.	N.A.	N.A.
भाग-ड राजकोषीय स्थिति के संकेतक					
I संसाधन संघटन					
स्वयं का कर राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	7.24	7.44	6.93	7.61	7.88
स्वयं का कर भिन्न राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	1.84	1.70	1.70	2.81	2.11

⁷

सरकार द्वारा सूचित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़े अंगीकृत किये गये हैं।

⁸

उस सीमा तक जिस सीमा तक पित लेखे में जानकारी उपलब्ध है।

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिये राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
केन्द्रीय अन्तरण ⁹ / सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	8.69	9.87	8.46	7.81	9.10
राज्य के स्वयं के कर के सन्दर्भ में राजस्व उत्पलावकता (प्रतिशत)	1.66	1.32	0.71	0.87	1.05
II व्यय प्रबंधन					
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	19.70	20.80	19.38	20.98	21.17
कुल व्यय/ राजस्व प्राप्तियाँ (प्रतिशत)	110.87	109.46	113.44	115.09	110.94
राजस्व व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	78.51	76.22	77.49	75.35	78.24
सामाजिक सेवाओं पर व्यय /कुल व्यय (प्रतिशत)	29.31	28.65	30.65	30.10	33.14
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	34.98	37.85	37.61	38.98	35.93
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	18.15	20.34	17.62	16.63	15.30
सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	17.90	20.12	17.29	16.38	14.99
III राजकोषीय असन्तुलन का प्रबन्धन					
राजस्व घाटा (-)/अधिशेष (+)/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद	+2.30	+3.15	+2.07	+2.42	+2.52
राजकोषीय घाटा (-)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	-1.91	-1.72	-2.26	-2.73	-1.94
प्राथमिक घाटा (-)/अधिशेष (+)/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद	+0.88	+0.87	-0.12	-0.77	-0.08
राजस्व घाटा /राजकोषीय घाटा	NA	NA	NA	NA	NA
प्राथमिक राजस्व शेष/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	36.85	13.26	12.88	13.85	14.71
IV राजकोषीय देयताओं का प्रबन्धन					
राजकोषीय देयताएं/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	40.04	34.25	30.75	29.88	27.79
राजकोषीय देयताएं/राजस्व प्राप्तियाँ	207.36	180.23	179.98	163.92	145.61
प्रमात्रा प्रसार के साथ प्राथमिक घाटा	(+) ³⁸⁹⁰	(+) ²⁷⁴⁰	(+) ³⁷⁶⁴	(+) ²¹¹⁷	(+) ⁸³²³
ऋण परिशोधन (मूलधन+व्याज)/कुल ऋण प्राप्तियाँ (अनुपात)	0.99	1.20	0.95	0.84	0.87
V अन्य राजकोषीय स्थिति संकेतक					
निवेश पर प्रतिलाभ (₹ करोड़ में तथा कोष्ठक में प्रतिशत में)	14.44 (0.18)	59.23 (0.67)	69.05 (0.72)	49.75 (0.43)	32.20 (0.26)
चालू राजस्व से शेष (₹ करोड़ में)	5294	7275	6846	10206	12313
वित्तीय परिस्थितियाँ/देयताएं	0.85	0.94	1.01	0.91	0.82

कोष्ठक में दिये गये आंकड़े प्रत्येक उपशीर्ष के योगों की तुलना में प्रतिशतता (पूर्णांक में) प्रदर्शित करते हैं।

परिशिष्ट 1.4 एवं 1.5 हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

- उपरोक्त दिये गये विवरण पत्रों में संक्षिप्त लेखे वित्त लेखे में दी गयी टिप्पणियाँ एवं स्पष्टीकरणों के साथ पढ़े जायें। सरकारी लेखे मुख्य रूप से रोकड़ के आधार पर होने के कारण परिशिष्ट - 1.5 में दर्शाएं अनुसार सरकारी लेखाओं में घाटा वाणिज्यिक लेखाकरण में उपर्यान्त के आधार के विपरीत रोकड़ के आधार पर स्थिति इग्नित करते हैं। परिणामस्वरूप भुगतान योग्य मर्दें अथवा प्राप्ति योग्य मर्दें अथवा मर्दें जैसे मूल्य छात्र या स्टॉफ में मिन्नता आदि के आंकड़े लेखाओं में नहीं दिये गये हैं। उच्चत तथा विविध शेषों में जारी किये गये किन्तु भुगतान न किये गये चेक राज्य की ओर से किये गये भुगतान एवं अन्य लम्बित निपटारे आदि सम्मिलित हैं।
- भारतीय रिजर्व बैंक में जमा के अन्तर्गत लेखाओं में दर्शित ₹ 2707.88 करोड़ (जमा) और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित ₹ 2566.64 करोड़ (नामे) के मध्य आकड़ों में मार्च 2011 के लेखाओं के बन्द होने पर ₹ 141.24 करोड़ रुपये (जमा) का अन्तर था। अप्रैल 2011 के लेखाओं के बन्द होने के उपरान्त ₹ 34.20 करोड़ (जमा) का शुद्ध अन्तर समाधान के लिए शेष था। रिजर्व बैंक में जमा में अन्तर एजेन्सी बैंक द्वारा आर.बी.आई. तथा कोषालय अधिकारी को लेन-देनों की, लेखाओं में गलत रिपोर्टिंग के कारण है।

⁹ केन्द्रीय अन्तरण में भारत सरकार से ग्राफ्ट संघकर्ष/युक्त एवं सहायता अनुदान समाविष्ट हैं।

परिशिष्ट - 1.5

(संदर्भ : कम्पिका 1.2 ; पृष्ठ 2)

भाग -क: वर्ष 2010-11 हेतु प्राप्तियों एवं संवितरणों का सारांश

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां					संवितरण			
2009-10			2010-11	2009-10		2010-11		
			आयोजनेतर	आयोजना		योग		
		भाग -क:राजस्व						
41394.70	I.	राजस्व प्राप्तियां	51854.18	35896.90	I. राजस्व व्यय	32100.87	12910.72	45011.59
17272.81	-	कर राजस्व	21419.34	12013.78	सामान्य सेवाएं	14533.98	112.70	14646.68
				12961.85	सामाजिक सेवाएं	9488.38	7857.02	17345.40
6382.04	-	कर भिन्न राजस्व	5719.77	6267.76	-शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	5876.19	2409.80	8285.99
				1582.99	-स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	1502.28	537.05	2039.33
11076.98	-	संघ करों में राज्य का अंश	15638.51	1141.35	- जलपूर्ति, सफाई, गृह निर्माण तथा शहरी विकास	640.59	955.25	1595.84
1532.87	-	आयोजनेतर अनुदान	1636.13	68.35	- सूचना तथा प्रसार	73.87	4.05	77.92
				1312.79	- अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	280.67	1309.65	1590.32
3102.44	-	राज्य आयोजना योजनाओं के लिये अनुदान	4520.92	118.59	- श्रम तथा श्रमिक कल्याण	96.75	48.45	145.20
				2444.12	- समाज कल्याण तथा पोषण	990.02	2592.77	3582.79
2027.56	-	केन्द्रीय तथा केन्द्र प्रवर्तित आयोजना योजनाओं के लिये अनुदान	2919.51	25.90	- अन्य	28.01	--	28.01
				8371.37	आर्थिक सेवाएं	5689.89	4394.59	10084.48
				2869.16	-कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप	2261.94	1732.68	3994.62
				2266.57	- ग्रामीण विकास	596.21	2044.88	2641.09
				0.00	-विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	--	--	---

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिये राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

(₹ करोड में)

प्राप्तियां					संवितरण		
2009-10			2010-11	2009-10		2010-11	
						आयोजनेतर	आयोजना
							योग
			507.51	- सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण	431.75	179.11	610.86
			1688.78	- ऊर्जा	1520.86	132.39	1653.25
			351.44	- उद्योग तथा खनिज	190.62	201.16	391.78
			554.30	-परिवहन	630.10	0.66	630.76
			45.60	-विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	2.96	42.43	45.39
			88.01	- सामान्य आर्थिक सेवाएं	55.45	61.28	116.73
			2549.90	सहायता अनुदान तथा अंशदान	2388.62	546.41	2935.03
	II.	भाग ख को अग्रेनीत राजस्व घाटा	5497.80	II- भाग ख को अग्रेनीत राजस्व बचत			6842.59
41394.70		योग	51854.18	41394.70	योग		51854.18
		भाग ख					
2422.10	III	स्थाई अग्रिमों तथा नकद शेष निवेश सहित प्रारम्भिक नकद शेष	3912.93		III. रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया से प्रारम्भिक अधिविकर्ष		--
21.69	IV	विविध पूँजीगत प्राप्तियां	366.54	7924.87	IV. पूँजीगत परिव्यय	142.81	8657.07
			119.54		सामान्य सेवाएं	20.73	157.92
			1177.76		सामाजिक सेवाएं	110.12	1421.91
			230.12		- शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	3.10	268.06
			78.56		-स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	2.18	112.69
			561.58		-जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	--	641.55
			0.00		- सूचना तथा प्रसारण	--	--
			258.40		- अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण		344.23
			47.03		- समाज कल्याण तथा पोषण	104.84	53.62
			2.08		- अन्य सामाजिक सेवाएं	--	1.76
							1.76

(₹ करोड़ में)

प्राप्तिया					संवितरण			
2009-10			2010-11	2009-10		2010-11		
						आयोजनेतर	आयोजना	
				6627.56	आर्थिक सेवाएं	11.96	7077.24	7089.20
				27.17	- कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप	7.47	218.03	225.50
				433.36	- ग्रामीण विकास	--	921.52	921.52
				2142.12	- सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	--	3433.07	3433.07
				1976.43	- ऊर्जा	4.49	405.14	409.63
				22.75	- उद्योग तथा खनिज	--	28.02	28.02
				1961.27	- परिवहन		2029.35	2029.35
				8.50	- विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण		9.25	9.25
				55.97	- सामान्य आर्थिक सेवाएं		32.86	32.86
23.37	V	ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियाँ	33.65	3816.88	V. संवितरित ऋण तथा अग्रिम	2755.41	959.32	3714.73
		- विद्युत परियोजनाओं से	---	3563.67	- विद्युत परियोजनाओं के लिये	2699.62	775.83	3475.45
0.15		- सरकारी कर्मचारियों से	0.49	0.01	- सरकारी कर्मचारियों के लिये	0.34	--	0.34
23.22		-अन्यों से	33.16	253.20	- अन्यों के लिये	55.45	183.49	238.94
2.76	VI	अन्तर्राज्यीय निपटान	1.64	2.78	VI. अन्तर्राज्यीय निपटान			1.85
5497.80	VII	राजस्व अधिकोष ऊपर से लाया गया	6842.59	0.00	VII. राजस्व घाटा ऊपर से लाया गया			--
8602.51	VIII	लोक ऋण प्राप्तियाँ	7457.94	2394.05	VIII. लोक ऋण का पुनर्मुग्नान			2529.23
7257.97		-अर्थोपाय पेशगियों तथा अधिविकर्षों के अलावा आन्तरिक ऋण	6363.46	1937.79	- अर्थोपाय पेशगियों तथा अधिविकर्षों के अलावा आन्तरिक ऋण			2011.62
		अर्थोपाय पेशगियों के अधीन निवल लेनदेन			अर्थोपाय पेशगियों के अधीन निवल लेनदेन			
		अधिविकर्षों के अधीन निवल लेनदेन						

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिये राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

(₹ करोड़ में)

2009-10			प्राप्तियां			संवितरण		
			2010-11	2009-10		आयोजनेतर	आयोजना	योग
1344.54		- केन्द्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम	1094.48	456.26	- केन्द्र सरकार को ऋण तथा अग्रिमों का पुनर्भुगतान	--	--	517.61
--	IX	आकस्मिक निधि को विनियोग		--	IX. आकस्मिक निधि को विनियोग	--	--	
--	X	आकस्मिक निधि को अन्तरित राशि		--	X. आकस्मिक निधि से व्यय	--	--	
52353.12	XI	लोक लेखा प्राप्तियां	65675.10	50871.84	XI. लोक लेखा प्राप्तियां	--	--	62344.26
1511.72		- अल्प बचतें तथा भविष्य निधियां	1737.35	1100.22	- अल्प बचतें तथा भविष्य निधियां	--	--	964.42
763.57		- आरक्षित निधियां	1190.83	439.52	- आरक्षित निधियां	--	--	916.16
31457.41		- उचन्त तथा विविध	41810.23	31447.33	- उचन्त तथा विविध	--	--	41724.38
9286.11		- प्रेषण	11212.55	9255.08	- प्रेषण	--	--	10693.36
9334.31		-जमा तथा अग्रिम	9724.14	8629.69	-जमा तथा अग्रिम	--	--	8045.94
--	XII	रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया से अन्तिम अधिविकर्ष	-	3912.93	XII. वर्ष के अन्त में नकद शेष	--	--	6900.44
				2.67	- कोषालय में नकद तथा स्थानीय प्रेषण	--	--	2.61
				-2043.74	- रिजर्व बैंक के साथ निक्षेप	--	--	-2707.88 ¹⁰
				14.33	- स्थाई अग्रिमों सहित विभागीय नकद शेष	--	--	14.48
				5939.67	- नकद शेष निवेश तथा उदिष्ट निधियों के निवेश	--	--	9591.23
110318.05		योग	136144.57	110318.05	योग			136144.57

¹⁰

भारतीय रिजर्व बैंक में जमा के अन्तर्गत लेखाओं में वर्तीत ₹ 2707.88 करोड़ (जमा) और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित ₹ 2566.64 करोड़ (नामे) के मध्य आंकड़ों में मार्च 2011 के लेखाओं के बद्द होने पर ₹ 141.24 करोड़ रुपये (जमा) का अन्तर था। अप्रैल 2011 के लेखाओं के बद्द होने के उपरान्त ₹ 34.20 करोड़ (जमा) का युद्ध अन्तर समाप्तन के लिए शेष था। रिजर्व बैंक में जमा में अन्तर एजेन्सी बैंक द्वारा आए गई आई. तथा कोषालय अधिकारी को लेन-देनों की लेखाओं में गलत रिपोर्टिंग के कारण है।

परिशिष्ट - 1.5 जारी

(संदर्भ : कण्डिका 1.10.1 ; पृष्ठ 33)

भाग -ख

31 मार्च 2011 को मध्य प्रदेश सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

31.03.2010 की स्थिति	देयताएं	31.03.2011 की स्थिति में
42461.81	आन्तरिक ऋण	46813.64
21619.92	ब्याज वाले बाजार ऋण	24877.38
0.38	ब्याज रहित बाजार ऋण	0.38
128.13	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	116.72
6047.13	अन्य संस्थाओं से ऋण	5570.96
14666.25	केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	16248.20
--	अर्थोपाय पेशगियां (प्रदत्त ब्याज सहित)	--
--	रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया से अधिविकर्ष	--
10378.95	केन्द्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम	10955.82
1.88	1984-85 से पूर्व के ऋण	1.88
61.54	आयोजनेत्तर ऋण	57.58
10195.69	राज्य आयोजना योजनाओं के लिये ऋण	10788.74
19.58	केन्द्रीय आयोजना योजनाओं के लिये ऋण	16.85
100.26	केन्द्र प्रवर्तित आयोजना योजनाओं के लिये ऋण	90.77
100.00	आकस्मिक निधि	100.00
8450.62	अल्प बचते, भविष्य निधियां आदि	9219.87
4840.24	जमा	6518.51
2100.88	आरक्षित निधियां	2375.56
104.69	उचन्त तथा विविध शेष	191.59
-	प्रेषण शेष	289.33
68437.19		76464.32
	परिसम्पत्तियां	
59121.70	स्थाई परिसम्पत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय	67884.70
11686.28	कम्पनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश	12216.04
47435.42	अन्य पूंजीगत परिव्यय	55668.66
11423.66	ऋण तथा अग्रिम	15104.75
7868.85	विद्युत परियोजनाओं हेतु ऋण	1134.43
3525.07	अन्य विकास ऋण	14941.07
29.74	सरकारी कर्मचारियों को ऋण तथा विविध ऋण	29.25

(₹ करोड़ में)

31.03.2010 की स्थिति	देयताएं	31.03.2011 की स्थिति में
12.80	अग्रिम	12.85
229.85	प्रेषण शेष	--
3912.93	नकद	6900.44
2.67	कोषालयों में नकद तथा स्थानीय प्रेषण	2.61
-2043.74	रिजर्व बैंक के पास निक्षेप	-2707.88 ¹¹
14.33	स्थाई अग्रिमों सहित विभागीय नकद शेष	14.48
5559.72	नकद शेष निवेश	9212.17
379.95	आरक्षित निधि निवेश	379.06
-6263.75	सरकारी लेखाओं पर घाटा	-13438.42
-5497.80	(i) चालू वर्ष की कम राजस्व अधिशेष	-6842.59
0.02	(क) अन्तर्राज्यीय निपटान	0.2
3.97	(ख) सरकारी लेखे में राशि का संवरण	1.05
-174.52	(ग) वर्ष के दौरान प्रोफार्मा समायोजन	-3.68
	(घ) विविध पूँजी प्राप्ति-अन्य जमा	-329.66
-595.42	वर्ष के आरंभ में संचित घाटा	-6263.75
68437.19		76464.32

¹¹ भारतीय रिजर्व बैंक में जमा के अन्तर्गत लेखाओं में दर्शित ₹ 2707.88 करोड़ (जमा) और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित ₹ 2566.64 करोड़ (नामे) के मध्य आंकड़ों में मार्च 2011 के लेखाओं के बन्द होने पर ₹ 141.24 करोड़ रुपये (जमा) का अन्तर था। अप्रैल 2011 के लेखाओं के बन्द होने के उपरान्त ₹ 34.20 करोड़ (जमा) का शुद्ध अन्तर समाधान के लिए शेष था। रिजर्व बैंक में जमा में अन्तर एजेन्सी बैंक द्वारा आर.बी.आई. तथा कोषालय अधिकारी को लेन-देनों की, लेखाओं में गलत रिपोर्टिंग के कारण है।

परिशिष्ट - 1.6

(संदर्भ : कांडिका 1.6.1 ; पृष्ठ 10)

कर एवं कर भिन्न राजस्व के मुख्य घटकों के अन्तर्गत संग्रहण और उनके संग्रहण पर किये गये व्यय
का विवरण

(₹ करोड़ में)

संक्र.	राजस्व के शीर्ष	वर्ष	बजट अनुमान	संग्रहण	राजस्व के संग्रहण पर व्यय	संग्रहण व्यय का प्रतिशत	वर्ष के लिये अखिल भारतीय औसत का प्रतिशत
क	कर राजस्व						
1.	विक्रय, व्यापार आदि पर कर	2006-07	5357.00	5261.41	48.20	0.92	0.82
		2007-08	5900.00	6045.07	60.36	1.00	0.83
		2008-09	6600.00	6842.99	96.23	1.41	0.88
		2009-10	8012.11	7723.83	85.33	1.10	0.96
		2010-11	9320.00	10362.63	98.35	0.95	अनुपलब्ध
2.	वाहनों पर कर	2006-07	650.00	1378.90	6.41	0.46	2.47
		2007-08	775.00	702.62	7.60	1.08	2.58
		2008-09	1000.00	772.56	5.88	0.76	2.93
		2009-10	900.00	919.01	12.63	1.38	3.07
		2010-11	1050.00	1198.38	31.12	2.60	अनुपलब्ध
3.	राज्य आबकारी	2006-07	1430.00	1546.68	303.79	19.64	3.30
		2007-08	1700.00	1853.83	396.04	21.36	3.27
		2008-09	2075.00	2301.95	505.46	21.96	3.66
		2009-10	2760.00	2951.94	818.34	27.72	3.64
		2010-11	3400.00	3603.42	963.86	26.75	अनुपलब्ध
4.	मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क	2006-07	1000.00	1251.10	36.48	2.92	2.33
		2007-08	1400.00	1531.54	44.54	2.91	2.09
		2008-09	1840.00	1479.29	41.72	2.82	2.77
		2009-10	1560.00	1783.15	51.69	2.90	2.47
		2010-11	1900.00	2515.12	90.65	3.60	अनुपलब्ध
ब	कर भिन्न राजस्व						
1.	अलौह खनन एवं धातु कर्माय उद्योग	2006-07	1100.00	923.91	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
		2007-08	1275.00	1125.39	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
		2008-09	1200.00	1361.08	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
		2009-10	1566.00	1590.47	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
		2010-11	1650.00	2121.49	10.93	0.52	अनुपलब्ध
2.	वानिकी तथा वन्य जीवन	2006-07	450.00	536.50	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
		2007-08	525.00	608.89	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
		2008-09	600.00	685.60	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
		2009-10	850.00	802.00	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
		2010-11	1000.00	836.61	786.73	94.04	अनुपलब्ध

परिशिष्ट - 1.7

(संदर्भ : कंडिका 1.6.1 ; पृष्ठ 13)

कर भिन्न राजस्व के मुख्य घटकों के कार्यचालन तथा संधारण प्रभारों का मूल्य दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

सरल क्र.	विभाग	कर भिन्न राजस्व प्राप्तियाँ	कार्यचालन तथा संधारण व्यय	कार्यचालन तथा संधारण व्यय की तुलना में कर भिन्न राजस्व का अनुपात
1.	शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	11.94	5.27	2.27
2.	स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	22.77	34.81	0.65
3.	जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	9.07	149.66	0.06
4.	कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप	886.36	9.34	94.90
5.	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	241.60	33.46	7.22
6.	विद्युत तथा ऊर्जा	396.51	10.90	36.38
7.	परिवहन	4.65	284.69	0.02

परिशिष्ट - 1.8

(संदर्भ : कांडिका 1.5.2 ; पृष्ठ 8)

2010-11 के दौरान भारत सरकार द्वारा प्रत्येक ₹25 लाख या इससे अधिक की सीधे अशासकीय संगठनों अथवा स्वैच्छिक संगठनों को अन्तरित निधियां

(₹ लाख में)

स. क्र.	भारत सरकार की योजनाएं	अशासकीय संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों का नाम	भारत सरकार द्वारा विमोचित (2010-11)
1.	विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्यवाही को बढ़ावा देने की योजना	श्री तुलसी सेवा समिति द्वारा संचालित श्रीतुलसी प्रज्ञाचक्षु हाई सेकंडरी विद्यालय	31.97
2.	कोचिंग और संबद्ध योजना और अनुकरणीय सेवा के लिए पुरस्कार सहित अनुसूचित जनजातियों के लिए गैर सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान	युवक कल्याण सेवा प्रशिक्षण संस्थान	34.01
3.	कोचिंग और संबद्ध योजना और अनुकरणीय सेवा के लिए पुरस्कार सहित अनुसूचित जनजातियों के लिए गैर सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान	क्रेस्टर एजुकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी	30.82
4.	क्षेत्रीय और स्थानीय संग्रहालयों के विकास और सुदृढ़ीकरण	श्री दिगंबर जैन मालवा PSAB	30.33
5.	कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना	केशव ग्रामोत्थान शिक्षण समिति	46.11
6.	कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना	मध्य प्रदेश आदिवासी सेवक संघ	91.40
7.	कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना	राजेंद्र आश्रम ट्रस्ट	25.62
8.	कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना	आदर्श लोक कल्याण (आलोक) संस्थान	58.33
9	कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना	पांडे शिक्षा समिति	45.70
10	कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना	शहरी एवं ग्रामीण विकास के लिए सव्यसांची केंद्र	53.45

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिये राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

स. क्र.	भारत सरकार की योजनाएं	अशासकीय संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों का नाम	भारत सरकार द्वारा विमोचित (2010-11)
11	कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना	केशव ग्रामोत्थान शिक्षण समिति	46.12
12	कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना	आदर्श लोक कल्याण (आलोक) संस्थान	59.09
13	कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना	शहरी एवं ग्रामीण विकास के लिए सव्यसांची केंद्र	53.45
14	कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना	मध्य प्रदेश आदिवासी सेवक संघ	51.02
15	कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना	पांडे शिक्षा समिति	25.61
16	कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना	बंधेवाल शिक्षा समिति	29.54
17	प्रौढ़ शिक्षा और सामाजिक विकास के लिए गैर सरकारी संगठनों/संस्थाओं/एस.आर.सी.एस. के लिए समर्थन	प्रौढ़ और सतत शिक्षा के लिए संसाधन केंद्र, भोपाल	35.66
18	प्रौढ़ शिक्षा और सामाजिक विकास के लिए गैर सरकारी संगठनों/संस्थाओं/एस.आर.सी.एस. के लिए समर्थन	प्रौढ़ शिक्षा के लिए राज्य संसाधन केंद्र, इंदौर	34.04
19	प्रौढ़ शिक्षा और सामाजिक विकास के लिए गैर सरकारी संगठनों/संस्थाओं/एस.आर.सी.एस. के लिए समर्थन	प्रौढ़ और सतत शिक्षा के लिए संसाधन केंद्र, भोपाल	49.94
20	प्रौढ़ शिक्षा और सामाजिक विकास के लिए गैर सरकारी संगठनों/संस्थाओं/एस.आर.सी.एस. के लिए समर्थन	प्रौढ़ शिक्षा के लिए राज्य संसाधन केंद्र, इंदौर	49.61
21	सार्वजनिक जन भागीदारी के माध्यम से 1396 सरकारी आई.टी.आई. का उन्नयन	आई.एम.सी. सोसायटी ऑफ आई.टी.आई.(W) खंडवा	250.00
22	जनजाति क्षेत्रों में व्यवसायिक प्रशिक्षण	बंधेवाल शिक्षा समिति	31.20
	योग		1163.02

परिशिष्ट - 1.9

(संदर्भ : कांडिका 1.9.1 ; वृष्ट 31)

अद्यतन वर्ष जिसके लिये लेखाओं को अन्तिम रूप दिया गया था, हेतु 31 मार्च 2011 की स्थिति में हानि में चलने वाले सांविधिक निगमों/सरकारी कम्पनियों की वित्तीय स्थिति
(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कम्पनियों/निगमों के नाम	वर्ष जिस तक लेखाओं को अन्तिम रूप दिया गया	वर्ष के अन्त में निवेशित राशि (प्रदत्त पूँजी)				वर्ष के 31 मार्च के अन्त में संचित	क्षेत्र
			राज्य	केन्द्र	अन्य	योग		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड,	2008-2009	2.10	1.20	--	3.30	7.48	कृषि तथा सम्बद्ध
2.	म.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड,	2009-2010	81.09	--	--	81.09	606.24	वित्त
3.	म.प्र. ए.एम.आर.एल. (सेमरिया) कोल कंपनी लिमिटेड	2010-2011	--	--	1.00	1.00	0.33	निर्माण
4.	म.प्र. ए.एम.आर.एल. (मोरगा) कोल कंपनी लिमिटेड	2010-2011	--	--	1.00	1.00	0.27	निर्माण
5.	म.प्र. ए.एम.आर.एल. (विचायुपु) कोल कंपनी लिमिटेड	2010-2011	--	--	1.00	1.00	0.27	निर्माण
6.	म.प्र. ए.एम.आर.एल. (मरकी बकरा) कोल कंपनी लिमिटेड	2010-2011	--	--	1.00	1.00	0.28	निर्माण
7.	म.प्र. जे.पी. मिनरल लिमिटेड	2010-2011	--	--	76.54	76.54	1.17	निर्माण
8.	म.प्र. राज्य वित्त निगम	2010-2011	349.08	--	2.06	351.14	237.66	वित्त
9.	म.प्र. सङ्कर परिवहन निगम	2007-2008	109.96	31.85	--	141.81	1024.52	सेवा
10.	म.प्र. लिफ्ट इरीगेशन कार्पोरेशन लिमिटेड	2002-03 से 2009-10	5.92	--	--	5.92	6.33	कृषि तथा सम्बद्ध
11.	म.प्र. राज्य उद्योग निगम लिमिटेड	2007-08	15.12	--	--	15.12	48.41	आधारभूत संरचना
12.	म.प्र. राज्य सेतु निर्माण निगम लिमिटेड	1989-90	5.00	--	--	5.00	2.15	आधारभूत संरचना
13.	ऑप्टेल टेली कम्युनिकेशन लिमिटेड	2009-10	--	--	23.96	23.96	131.76	निर्माण
14.	म.प्र. राज्य वस्त्रोद्योग निगम लिमिटेड	2005-06	6.86	--	--	6.86	106.97	निर्माण
			575.13	33.05	106.56	714.74	2173.84	

परिशिष्ट - 2.1

(संदर्भ: कंडिका 2.3.1 ; पृष्ठ 49)

विभिन्न अनुदान / विनियोग जिनमें बचत ₹ 10 करोड़ से अधिक और कुल प्रावधान 20 प्रतिशत से भी अधिक थी, का विवरण पत्र

(₹ करोड़ में)

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल अनुदान/विनियोग	बचत	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	लोक ऋण	लोक ऋण (पूँजीगत प्रभारित)	5922.01	3392.77	57.29
2.	02	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय (राजस्व दत्तमत)	41.59	13.27	31.90
3.	06	वित्त (राजस्व दत्तमत)	5397.71	1501.85	27.82
4.	06	वित्त (पूँजीगत प्रभारित)	12.73	12.41	97.49
5.	06	वित्त (पूँजीगत दत्तमत)	106.78	74.94	70.18
6.	10	वन (पूँजीगत दत्तमत)	26.00	13.63	52.42
7.	11	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार (पूँजीगत दत्तमत)	120.16	102.34	85.17
8.	15	अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता (राजस्व दत्तमत)	1151.78	248.53	21.57
9.	15	अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता (पूँजीगत दत्तमत)	23.64	10.73	45.38
10.	21	आवास एवं पर्यावरण (राजस्व दत्तमत)	228.00	146.07	64.07
11.	22	नगरीय प्रशासन एवं विकास-नगरीय निकाय (पूँजीगत दत्तमत)	246.96	95.08	38.50
12.	29	विधि और विधायी कार्य (राजस्व दत्तमत)	632.83	259.71	41.04
13.	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी (राजस्व दत्तमत)	152.54	85.87	56.29
14.	34	समाज कल्याण (राजस्व दत्तमत)	128.54	43.60	33.92
15.	42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सङ्करों और पुल (पूँजीगत दत्तमत)	343.07	92.05	26.83
16.	43	खेल और युवक कल्याण (राजस्व दत्तमत)	46.07	19.78	42.93
17.	44	उच्च शिक्षा (राजस्व दत्तमत)	789.32	182.71	23.15
18.	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य (पूँजीगत दत्तमत)	730.18	371.67	50.90
19.	53	अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता (राजस्व दत्तमत)	64.91	31.19	48.05

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20.	53	अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता (पूँजीगत दत्तमत)	61.19	25.43	41.55
21.	57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं (पूँजीगत दत्तमत)	362.27	74.90	20.68
22.	59	ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं (पूँजीगत दत्तमत)	57.00	28.50	50.00
23.	62	पंचायत (राजस्व दत्तमत)	116.09	25.09	21.61
24.	63	अल्पसंख्यक कल्याण (राजस्व दत्तमत)	51.44	20.90	40.63
25.	67	लोक निर्माण कार्य-भवन (पूँजीगत दत्तमत)	107.86	35.89	33.27
26.	68	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता (राजस्व दत्तमत)	31.59	18.56	58.75
27.	69	सूचना प्रौद्योगिकी (राजस्व दत्तमत)	53.50	27.71	51.79
योग			17005.76	6955.18	40.90

परिशिष्ट - 2.2(क)

(संदर्भ: कंडिका 2.3.3 ; पृष्ठ 52)

अनुदानों / विनियोगों के अंतर्गत विभिन्न योजनाएँ जिनमें व्यय प्रावधान से ₹ 10 करोड़ से

अधिक और कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से भी अधिक था, का विवरण पत्र

(₹ करोड़ में)

सं.क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल अनुदान/ विनियोग	व्यय	आधिक्य	आधिक्य व्यय का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-101-1571-8.50 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण (ऑक्शन), 2011	3.66	145.17	141.51	3866.39
2.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-101-5025 मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण	0.01	49.02	49.01	490100
3.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-101-5518-8.49 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2017	53.06	74.14	21.08	39.73
4.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-101-5519-8.40 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2017	63.00	102.48	39.48	62.67
5.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-101-6055-8.32 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2019	129.79	259.00	129.21	99.55
6.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-101-6415-8.30 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2012	13.39	65.26	51.87	387.38
7.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-101-6764-6.35 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2013	12.69	38.14	25.45	200.55
8.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-101-6767-5.85 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2015	12.87	59.67	46.80	363.64
9.	लोक ऋण	6003-111-6835-केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	204.46	456.46	252.00	123.25
10.	लोक ऋण	6004-02-105-6983-12वें वित्त आयोग की अनुशंसानुसार समेकित ऋण	सांकेतिक	363.06	363.06	सांकेतिक प्रावधान के विरुद्ध आधिक्य
11.	06-वित्त	2071-01-115-9999-एकीकृत मध्य प्रदेश	89.21	165.47	76.26	85.48
12.	06-वित्त	2071-01-117-6854-अंशदायी पेंशन योजना	36.00	51.19	15.19	42.19

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13.	07-वाणिज्यिक कर	2030-02-102-2455- न्यायिकेतर स्टाम्प की बिक्री पर व्यय	23.00	32.57	9.57	41.61
14.	12-ऊर्जा	6801-190-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 7900-उप परेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण	63.00	101.29	38.29	60.78
15.	15-अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	58-ग्रामीण विकास विभाग 2216-03-789-198-0703 इंदिरा आवास योजना	23.72	41.24	17.52	73.86
16.	15-अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	58-ग्रामीण विकास विभाग 2501-06-789-198-0103 9249-बैकवर्ड रिजन ग्राप्ड फण्ड योजना	105.95	154.45	48.50	45.78
17.	23-जल संसाधन विभाग	4701-80-001-0101-5595 अपर ककेटो बांध परियोजना	7.50	24.85	17.35	231.33
18.	23-जल संसाधन विभाग	2700-80-800-6360- निर्वाचित कृषक संस्थाओं को राशि की व्यवस्था	7.50	23.26	15.76	210.13
19.	24- लोक निर्माण कार्य- सड़कें और पुल	5054-80-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) 3115-भू-अर्जन हेतु मुआवजा (भारित)	8.00	23.60	15.60	195.00
20	41- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	27-नर्मदा घाटी विकास विभाग- 4700-65-796-800-1502 अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना) 5090- अपर वेदा परियोजना	9.21	20.19	10.98	119.22
21.	41- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	31-जल संसाधन विभाग 4701-54-796-800-0102 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना 3366-मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य	1.10	12.32	11.22	1020.00
22.	48-नर्मदा घाटी विकास	4700-41-800-1501- अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य) 2872-बरगी नहर प्रत्यावर्तन योजना	107.55	168.52	60.97	56.69

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिये राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
23.	48-नर्मदा धारी विकास	4700-45-800-1501- अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य) 9091- ऑकारेश्वर परियोजना	12.20	29.61	17.41	142.70
24.	52- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	58-ग्रामीण विकास विभाग 2216-03-796-198-0702-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना 5198-इंदिरा आवास योजना	28.24	48.31	20.07	71.07
25.	52- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	58-ग्रामीण विकास विभाग 2501-06-796-102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना 198-0102-9249-बैकवर्ड रिजन ग्राण्ड फैंड योजना	194.40	267.90	73.50	37.81
26.	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-80-800-8030- पुनः स्थापना के लिये सहायता अन्य कार्य हेतु	255.00	921.77	666.77	261.48
27.	61-बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	4702-101-1501- अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य) 6068-निर्माणाधीन लघु सिंचाई योजनायें	71.66	94.00	22.34	31.17
28.	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	15- सहकारिता विभाग 2425-789-800-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना 7895- दाम दुपट योजना	0.01	14.78	14.77	147700.00
29.	74-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2216-03-198-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य) 5198- इंदिरा आवास योजना	35.50	60.69	25.19	70.96
30.	74-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2501-06-198-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 9249- बैकवर्ड रिजन ग्राण्ड फैंड योजना	174.67	252.67	78.00	44.66
31.	74-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	3604-197-4610- अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध अनुदान	216.44	271.27	54.83	25.33
32.	75-नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217-05-192-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 6221- इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम फॉर स्मॉल एण्ड मीडियम टाउन्स	0.01	17.29	17.28	172800.00
योग			1962.80	4409.64	2446.84	124.66

परिशिष्ट - 2.2(ख)
(संदर्भ: कांडिका 2.3.4 ; पृष्ठ 52)
प्रकरण जिनमें सम्पूर्ण प्रावधान ₹ पाँच करोड़ या अधिक अप्रयुक्त रहा

(₹ करोड़ में)

स.क्रं	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	योजना का नाम	कुल प्रावधान	व्यय	बचत की राशि	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	ब्याज भुगतान	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-101-5848-6.40 प्रतिशत म.प्र. राज्य विकास ऋण 2018	40.00	निरंक	40.00	100
2.	ब्याज भुगतान	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-101-6804-6.35 प्रतिशत म.प्र. राज्य विकास ऋण 2013	25.45	निरंक	25.45	100
3.	ब्याज भुगतान	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-101-6056-8.31 प्रतिशत म.प्र. राज्य विकास ऋण 2020	129.05	निरंक	129.05	100
4.	ब्याज भुगतान	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-101-7887-5.85 प्रतिशत म.प्र. राज्य विकास ऋण 2017	46.80	निरंक	46.80	100
5.	ब्याज भुगतान	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-200-3089-भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय पेशगियों और रोकड़ शेष की कमी की पूर्ति हेतु लिये गये अग्रिमों पर ब्याज	50.00	निरंक	50.00	100
6.	ब्याज भुगतान	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-200-7108-एन.टी.पी.सी. और केन्द्र सरकार के अन्य उपक्रमों से उधार पर ब्याज (एम.एस. अहलूवालिया कमेटी)	141.52	निरंक	141.52	100
7.	ब्याज भुगतान	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-03-104-4033-विभागीय भविष्य निधियों पर ब्याज	20.00	निरंक	20.00	100
8.	ब्याज भुगतान	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-03-104-6854-अंशदायी पेंशन योजना	5.00	निरंक	5.00	100
9.	ब्याज भुगतान	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-60-701-4209-शासकीय सेवक परिवार कल्याण निधि पर ब्याज	32.47	निरंक	32.47	100
10.	ब्याज भुगतान	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-03-104-0807-कामगार अंशदायक भविष्य निधि पर ब्याज	7.00	निरंक	7.00	100
11.	लोक ऋण	लोक ऋण	6003-110-0637-अर्थोपाय अग्रिम	2000.00	निरंक	2000.00	100
12.	लोक ऋण	लोक ऋण	6003-110-0779 कमियों की पूर्ति के लिये अग्रिम	2000.00	निरंक	2000.00	100

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिये राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
13.	06	वित्त	2070-800-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 0224-अन्य व्यय	850.00	निरंक	850.00	100
14.	06	वित्त	2071-01-200-5653- अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को पेंशन भुगतान	34.00	निरंक	34.00	100
15.	06	वित्त	2071-01-101-9999 एकीकृत मध्य प्रदेश	10.24	निरंक	10.24	100
16.	06	वित्त	6075-800-6787- गारंटीकृत ऋणों के समाधान हेतु प्रावधान	25.00	निरंक	25.00	100
17.	06	वित्त	6075-800-6788- राज्य शासन के उपक्रमों व अधीनस्थ संस्थाओं द्वारा जारी एम.एल.आर. बाण्ड्स के समाधान हेतु प्रावधान	25.00	निरंक	25.00	100
18.	08	भू- राजस्व तथा जिला प्रशासन	2029-800-1301-5193-आपदा से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम (13वाँ वित्त आयोग)	5.00	निरंक	5.00	100
19.	11	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	6856-800-0101-7880 उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना	100.00	निरंक	100.00	100
20.	13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	2401-102-0701-0921-राष्ट्रीय दलहन विकास योजना	9.34	निरंक	9.34	100
21.	15	अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	58-ग्रामीण विकास विभाग 4515-789-198-0703-6099-मध्याह्न भोजन किचन शेड का निर्माण	10.64	निरंक	10.64	100
22.	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-01-110-0701 केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-5613-राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	60.00	निरंक	60.00	100
23.	21	आवास एवं पर्यावरण	2217-01-001-0101-6706-लघु एवं मध्यम शहरी अपोसरचना विकास योजना हेतु म.प्र. विकास प्राधिकरण संघ को अनुदान	138.17	निरंक	138.17	100

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
24.	23	जल संसाधन	4700-80-001-0101-2304- निदेशन और प्रशासन	10.11	निरंक	10.11	100
25.	24	लोक निर्माण कार्य-सङ्केत और पुल	5054-80-800-1201- कैन्ड्र प्रवर्तित योजनाएँ (सामान्य) 3115-भू-अर्जन हेतु मुआवजा (भारित)	15.88	निरंक	15.88	100
26.	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	3451-101-6267- जिला नवाचार कोष (13वाँ वित्त आयोग)	10.00	निरंक	10.00	100
27.	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	3451-101-0101-6267- जिला नवाचार कोष (13वाँ वित्त आयोग)	10.00	निरंक	10.00	100
28.	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	3454-02-001-6264- सांख्यिकी अधोसंरचना विकास (13वाँ वित्त आयोग)	10.00	निरंक	10.00	100
29.	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	3454-02-001-0101-6264- राज्य की सांख्यिकी अधोसंरचना को मजबूत करना (13वाँ वित्त आयोग)	10.00	निरंक	10.00	100
30.	34	समाज कल्याण	2235-02-001-0101-5758- कुशाभाऊ अंशदायी पेशन योजना	24.55	निरंक	24.55	100
31.	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	20-स्कूल शिक्षा विभाग 2202-02-796-109-0702- 6918-सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विद्यालय	20.00	निरंक	20.00	100
32.	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	26- समाज कल्याण विभाग 2235-60-796-800-0102- 5758- कुशाभाऊ अंशदायी पेशन योजना	6.00	निरंक	6.00	100
33.	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	50-महिला एवं बाल विकास विभाग 2236-02-796-101-0102- 5548-प्रोजेक्ट शक्तिमान	10.00	निरंक	10.00	100
34.	42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सङ्केत एवं पुल	5054-04-796-800-0802- 5904-नक्सल प्रभावित क्षेत्र की सङ्केत	54.00	निरंक	54.00	100

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिये राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
35.	44	उच्च शिक्षा	2202-03-102-0801-6411-बुदेलखंड विश्वविद्यालय की स्थापना	20.00	निरंक	20.00	100
36.	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	4702-101-1401-नाबार्ड (सामान्य) 2304-निदेशन और प्रशासन	10.00	निरंक	10.00	100
37.	48	नर्मदा घाटी विकास	4700-80-800-0101-6399- इंदिरा सागर परियोजना (इकाई-1)	25.00	निरंक	25.00	100
38.	52	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	58- ग्रामीण विकास विभाग 4515-796-198-0702-6099-मध्याह्न भोजन किचन शेड का निर्माण	6.08	निरंक	6.08	100
39.	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-80-102-5503-आपदाग्रस्त क्षेत्रों में तात्कालिक कार्य एवं आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध	10.00	निरंक	10.00	100
40.	64	अनुसूचित जाति उप योजना	26- समाज कल्याण विभाग 2235-60-789-800-0103-5758- कुशाभाऊ अंशदायी पेंशन योजना	9.00	निरंक	9.00	100
41.	67	लोक निर्माण कार्य-भवन	4059-01-051-0101-6383 भौमिकी एवं खनिकर्म जिला कार्यालय भवन	8.00	निरंक	8.00	100
42.	73	विकित्सा शिक्षा विभाग	4210-03-105-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 6004-भोपाल में निर्माणाधीन एम्स के लिये पारेषण प्रणाली के कार्य	6.55	निरंक	6.55	100
43.	74	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2202-01-192-6967-माध्यमिक शालाओं का हाई स्कूल में उन्नयन	9.37	निरंक	9.37	100
44.	74	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	3604-198-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 6086-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर अधोसंरचना विकास हेतु अनुदान	55.48	निरंक	55.48	100

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
45.	74	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	4515-198-0701-6099 मध्याह्न भोजन किचन शेड का निर्माण	13.68	निरंक	13.68	100
46.	75	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217-05-191-0101-6982-एकीकृत शहरी एवं मलिन बरस्ती विकास कार्यक्रम	10.15	निरंक	10.15	100
47.	77	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	2202-02-109-0701-6007-मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन	11.50	निरंक	11.50	100
48.	77	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	2202-02-109-0701-6918-सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विद्यालय	21.00	निरंक	21.00	100
49.	77	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	2202-80-001-0101-5704-सक्सेस योजना अंतर्गत हाई स्कूलों का सुदृढ़ीकरण तथा मिडिल स्कूलों का हाई स्कूलों में उन्नयन	10.53	निरंक	10.53	100
योग				6171.56		6171.56	

परिशिष्ट - 2.3

(संदर्भ: कांडिका 2.3.5 ; पृष्ठ 53)

पिछले वर्षों के प्रावधान से अधिक व्यय जिसके नियमन की आवश्यकता है

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदान/विनियोग की संख्या	अनुदान/विनियोग की क्रं. संख्या	आधिक्य की राशि	लोक लेखा समिति द्वारा की गई चर्चा की स्थिति
1	2	3	4	5
1993-94	19 अनुदान 02 विनियोग	राजस्व (दत्तमत): 3,8,15,16,20, 24,29,30,42,45,49,58,67, पूंजीगत (दत्तमत): 27,44,57,67,70,73 राजस्व (प्रभारित): 30,51	258.11	व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत कर दी गई है। लोक लेखा समिति द्वारा चर्चा अभी नहीं की गई।
1994-95	14 अनुदान 01 विनियोग	राजस्व (दत्तमत): 8, 20, 24,32,58, 63,67 पूंजीगत (दत्तमत): 20,30,42,47,60, 67,73 राजस्व (प्रभारित): लोक ऋण,	407.46	व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत कर दी गई है। लोक लेखा समिति द्वारा चर्चा अभी नहीं की गई।
1997-98	10 अनुदान 03 विनियोग	राजस्व (दत्तमत): 7,20,24, 27,58, 67, पूंजीगत (दत्तमत): 20,21,61,69 राजस्व (प्रभारित): लोक ऋण, 31,67	302.79	अनुदान संख्या 7 के संदर्भ में ₹23,35,170 को छोड़कर व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत कर दी गई है। लोक लेखा समिति द्वारा चर्चा अभी नहीं की गई।
1998-99	12 अनुदान 05 विनियोग	राजस्व (दत्तमत): 02,14,20,24,25,27, 50,58,62,67,77 पूंजीगत (दत्तमत): 59 राजस्व (प्रभारित): लोक ऋण, 03,20, 29,81	1276.46	व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत कर दी गई है। लोक लेखा समिति द्वारा अभी चर्चा नहीं की गई।
1999-2000	11 अनुदान 06 विनियोग	राजस्व (दत्तमत): 14,27,44,50,59, पूंजीगत (दत्तमत): 03,23,60,69,75,89 राजस्व (प्रभारित): 6,23,24,30 पूंजीगत(प्रभारित): लोक ऋण, 21	1584.94	व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत कर दी गई है। लोक लेखा समिति द्वारा अभी चर्चा नहीं की गई।
2000-2001	03 अनुदान 04 विनियोग	राजस्व (दत्तमत): 02,70 पूंजीगत (दत्तमत): 88 राजस्व (प्रभारित): 24 पूंजीगत(प्रभारित): लोक ऋण, 21,23	265.07	व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत कर दी गई है। लोक लेखा समिति द्वारा अभी चर्चा नहीं की गई।
2001-2002	03 विनियोग	राजस्व (प्रभारित): 20 पूंजीगत(प्रभारित): 06,23	6.26	व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत कर दी गई है। लोक लेखा समिति द्वारा अभी चर्चा नहीं की गई।

1	2	3	4	5
2002-2003	03 अनुदान 05 विनियोग	राजस्व (दत्तमत): 24,53,67 राजस्व (प्रभारित): 44,67 पूंजीगत(प्रभारित): लोक ऋण, 21,23	424.79	अनुदान संख्या 53 के संदर्भ में ₹31,000 को छोड़कर व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत कर दी गई है। लोक लेखा समिति द्वारा अभी चर्चा नहीं की गई है।
2003-2004	04 अनुदान 03 विनियोग	राजस्व (दत्तमत): 68,84 पूंजीगत (दत्तमत): 35,94 राजस्व (प्रभारित): 20,67 पूंजीगत (प्रभारित): 23	2.54	अनुदान संख्या 68 एवं 84 के संदर्भ में ₹1,23,66,250 अनुदान संख्या 20 के संदर्भ में ₹26,547 तथा अनुदान संख्या 94 के संदर्भ में ₹1,17,05,217 को छोड़कर व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत की गई है।
2004-05	13 अनुदान 02 विनियोग	राजस्व (दत्तमत): 24,59,67,92,94 पूंजीगत (दत्तमत): 06,19,30,59, 66,78,84,86 राजस्व (प्रभारित): 67 पूंजीगत (प्रभारित): 45	83.66	अनुदान संख्या 94 के संदर्भ में ₹35,57,194 तथा अनुदान संख्या 84 एवं 86 के संदर्भ में ₹4,08,87,394 को छोड़कर व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत की गई है। लोक लेखा समिति द्वारा अभी चर्चा नहीं की गई है।
2005-2006	04 अनुदान 02 विनियोग	राजस्व (दत्तमत): 24,67 पूंजीगत(दत्तमत): 06,39 पूंजीगत(प्रभारित): 21,45	37.58	अनुदान संख्या 06 से 39 के संदर्भ में ₹29,22,85,014 छोड़कर व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत की गई है।
2006-2007	02 अनुदान 01 विनियोग	राजस्व (दत्तमत): 24,67 पूंजीगत(प्रभारित): 24	35.99	व्याख्यात्मक टिप्पणियां लोक लेखा समिति को प्रस्तुत नहीं की गई।
2007-2008		किसी भी अनुदान में अधिक व्यय नहीं है।		
2008-2009	02 अनुदान 02 विनियोग	राजस्व (दत्तमत): 62 पूंजीगत((दत्तमत): 43 राजस्व (प्रभारित): 24 पूंजीगत(प्रभारित): 24	5.80	व्याख्यात्मक टिप्पणियां लोक लेखा समिति को प्रस्तुत नहीं की गई।
2009-2010	04 अनुदान	राजस्व (दत्तमत): 03, 27, 32, 49	123.96	व्याख्यात्मक टिप्पणियां लोक लेखा समिति को प्रस्तुत नहीं की गई।
योग	101 अनुदान एवं 39 विनियोग		4815.41	

परिशिष्ट - 2.4

(संदर्भ: कांडिका 2.3.7 ; पृष्ठ 55)

वे प्रकरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 लाख अथवा इससे अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए
(₹ करोड़ में)

सं. क्र.	अनुदान की क्र. संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	अनुपूरक प्रावधान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
क - राजस्व (दत्तमत)					
1.	01- सामान्य प्रशासन	183.42	172.67	10.75	13.83
2.	02- सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	40.08	28.32	11.76	1.51
3.	06- वित्त	4308.55	3895.86	412.69	1089.16
4.	07- वाणिज्यिक कर	1196.18	1175.01	21.17	30.61
5.	10- वन	997.25	978.08	19.17	142.51
6.	15- अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	1148.54	903.25	245.29	3.24
7.	21- आवास एवं पर्यावरण	221.99	81.94	140.05	6.01
8.	28- राज्य विधान मंडल	41.79	39.89	1.90	6.30
9.	34- समाज कल्याण	114.18	84.94	29.24	14.36
10.	36- परिवहन	46.49	41.49	5.00	4.91
11.	41- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	1763.13	1731.18	31.95	210.76
12.	43- खेल और युवक कल्याण	43.15	26.29	16.86	2.93
13.	45- लघु सिचाई निमाण कार्य	79.75	76.75	3.00	1.00
14.	52- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	1383.96	1320.86	63.10	140.54
15.	63- अल्पसंख्यक कल्याण	43.21	30.54	12.67	8.23
16.	69- सूचना प्रौद्योगिकी	41.90	25.79	16.11	11.60
17.	75- नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2986.39	2831.72	154.67	282.57
योग राजस्व (दत्तमत)		14639.96	13444.58	1195.38	1970.07
ख - पूँजीगत (दत्तमत)					
18.	04- गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	0.32	0.32	निरंक	0.60
19.	11- वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	119.16	17.81	101.35	1.00
20.	41- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	1363.12	1344.46	18.66	159.62
21.	42- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सङ्केत और पुल	313.07	251.02	62.05	30.00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22.	45- लघु सिंचाई निर्माण कार्य	680.18	358.51	321.67	50.00
23.	57- जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	357.27	287.37	69.90	5.00
24.	67- लोक निर्माण कार्य-भवन	73.86	71.97	1.89	34.00
25.	77- स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	13.43	11.43	2.00	5.00
योग पूँजीगत (दत्तमत)		2920.41	2342.89	577.52	285.22
ग - राजस्व (प्रभारित)					
26.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	5051.83	5048.95	2.88	757.33
27.	29-विधि और विधायी कार्य	52.57	48.04	4.53	6.40
योग राजस्व (प्रभारित)		5104.40	5096.99	7.41	763.73
महायोग (क+ख+ग)		22664.77	20884.46	1780.31	3019.02

परिशिष्ट - 2.5

(संदर्भ: कंडिका 2.3.7 ; पृष्ठ 55)

वे प्रकरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान अधिक सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान/विनियोग की क्र.संख्या तथा नाम	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
क - राजस्व दत्तमत					
1.	03- पुलिस	1863.76	402.64	2075.39	191.01
2.	04- गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	15.39	11.35	21.12	5.62
3.	05- जेल	133.21	14.43	138.15	9.49
4.	08- भू- राजस्व तथा जिला प्रशासन	608.54	150.82	641.44	117.92
5.	09- राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	37.07	8.05	38.26	6.86
6.	11- वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	147.17	14.74	157.16	4.75
7.	12- ऊर्जा	1532.21	52.96	1581.21	3.96
8.	13- किसान कल्याण तथा कृषि विकास	624.19	247.20	787.10	84.29
9.	14- पशुपालन	319.35	148.11	411.54	55.92
10.	16- मछलीपालन	28.65	22.63	42.62	8.66
11.	17- सहकारिता	122.80	80.19	191.59	11.40
12.	18- श्रम	53.70	30.57	74.97	9.30
13.	19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1286.83	308.80	1409.75	185.88
14.	20- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	314.53	102.99	348.93	68.59
15.	22- नगरीय प्रशासन एवं विकास- नगरीय निकाय	89.11	57.96	140.45	6.62
16.	23- जल संसाधन विभाग	504.53	56.44	537.82	23.15
17.	24- लोक निर्माण कार्य-सङ्करे और पुल	492.13	157.06	602.78	46.41
18.	25- खनिज संसाधन	16.48	3.90	17.30	3.08
19.	26- संस्कृति	38.13	20.06	54.98	3.21
20.	27- स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	2530.06	1017.65	3480.35	67.36
21.	29- विधि और विधायी कार्य	326.09	306.74	373.13	259.70
22.	30- ग्रामीण विकास	164.92	35.19	170.46	29.65
23.	31- योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	57.84	94.70	66.67	85.87
24.	32- जनसंपर्क	82.56	22.35	102.63	2.28
25.	33- आदिम जाति कल्याण	737.06	217.91	877.05	77.92
26.	38- आयुष	153.08	44.89	162.26	35.71

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27.	39- खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	687.36	43.90	719.85	11.41
28.	44- उच्च शिक्षा	509.67	279.65	606.61	182.71
29.	47- तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण	217.55	61.47	247.64	31.38
30.	49- अनुसूचित जाति कल्याण	46.13	8.68	54.43	0.38
31.	50- 20 सूत्र कार्यान्वयन	3.03	1.46	3.55	0.94
32.	55- महिला एवं बाल विकास	1275.20	262.67	1399.54	138.33
33.	56- ग्रामोद्योग	69.71	5.00	70.98	3.73
34.	58- प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	772.59	808.04	1535.19	45.44
35.	61- बुद्धेलखंड पैकेज से संबंधित अन्य व्यय	167.20	32.09	185.90	13.39
36.	62- पंचायत	89.92	26.17	91.00	25.09
37.	64- अनुसूचित जाति उपयोजना	1118.54	223.38	1167.51	174.41
38.	65- विमानन	15.33	5.94	18.13	3.14
39.	66- पिछड़ा वर्ग कल्याण	258.75	187.12	440.06	5.81
40.	67- लोक निर्माण कार्य-भवन	298.06	60.99	326.50	32.55
41.	72- भोपाल गैस त्रासदी-राहत एवं पुनर्वास	50.22	171.18	218.76	2.64
42.	73- चिकित्सा शिक्षा विभाग	191.81	54.69	238.28	8.22
43.	74- त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	3362.40	430.94	3363.64	429.70
44.	77- स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारम्भिक शिक्षा को छोड़कर)	802.66	229.53	874.30	157.89
45.	78- उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	115.63	34.25	139.61	10.27
46.	79- अपरंपरागत ऊर्जा	----	8.76	8.18	0.58
कुल (क)		22331.15	6566.24	26214.77	2682.62

ख- राजस्व प्रभारित

47.	01- सामान्य प्रशासन	13.17	6.19	18.59	0.77
48.	77- स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारम्भिक शिक्षा को छोड़कर)	0.15	0.60	0.34	0.41
कुल (ख)		13.32	6.79	18.93	1.18

ग- पूँजीगत दत्तमत

49.	01- सामान्य प्रशासन	8.55	9.41	14.47	3.49
50.	08- भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	17.83	9.24	26.00	1.07
51.	12- ऊर्जा	1236.04	2557.05	3606.59	186.50
52.	19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	21.00	7.11	22.40	5.71

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिये राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
53.	20- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	397.68	49.47	402.12	45.03
54.	23- जल संसाधन	361.83	658.38	938.16	82.05
55.	24- लोक निर्माण कार्य-सङ्कें और पुल	1370.90	399.75	1482.69	287.96
56.	27- स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	23.93	36.81	60.46	0.28
57.	30- ग्रामीण विकास	171.87	174.55	343.92	2.50
58.	37- पर्यटन	27.01	10.00	32.86	4.15
59.	44- उच्च शिक्षा	19.58	26.43	44.09	1.92
60.	48- नर्मदा धाटी विकास	688.66	198.90	783.67	103.89
61.	55- महिला एवं बाल विकास	3.61	31.24	34.38	0.47
62.	61- बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित अन्य व्यय	516.42	278.46	756.40	38.48
63.	64- अनुसूचित जाति उपयोजना	921.10	138.63	964.24	95.49
64.	65- विमानन	0.10	40.00	39.17	0.93
65.	66- पिछड़ा वर्ग कल्याण	13.70	17.89	27.94	3.65
66.	72- भोपाल गैस त्रासदी-राहत एवं पुनर्वास	5.89	104.42	106.70	3.61
67.	73- विकित्सा शिक्षा विभाग	3.32	7.55	4.32	6.55
कुल (ग)		5809.02	4755.29	9690.58	873.73
घ- पूंजीगत प्रभारित					
68.	23- जल संसाधन विभाग	0.50	1.84	1.05	1.29
कुल (घ)		0.50	1.84	1.05	1.29
कुल योग (क+ख+ग+घ)		28153.99	11330.16	35925.33	3558.82

अतिरिक्त आवश्यकता :- वास्तविक व्यय - मूल प्रावधान= $35925.33 - 28153.99 = 7771.34$

परिशिष्ट - 2.6

(संदर्भ: कांडिका 2.3.7 ; पृष्ठ 55)

विभिन्न अनुदान/ विनियोग जिनमें अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुआ का विवरण पत्र

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान विनियोग	अनुदान/एवं विनियोग का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	व्यय	आधिक्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
पूँजीगत (प्रभारित)							
1.	24	लोक निर्माण कार्य-सङ्कें एवं पुल	8.00	3.00	11.00	23.60	12.60
		योग	8.00	3.00	11.00	23.60	12.60

परिशिष्ट - 2.7

(संदर्भ: कंडिका 2.3.8 ; पृष्ठ 55)

निधियों का अधिक/ अनावश्यक पुनर्विनियोजन / समर्पण

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा का शीर्ष	पुनर्विनियोजन	अन्तिम आधिक्य (+) बचत (-)	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	03	पुलिस	2055-109-0109-अतिरिक्त पुलिस संरक्षक, जिनका व्यय निजी कम्पनियों और व्यक्तियों से वसूल किया जाता है	(-)2.93	(+)1.36	46.42
2.	06	वित्त	2054-097-1026-खजाना-स्थापना	(+)4.07	(-)1.65	40.54
3.	06	वित्त	2054-098-4361-बीमा तथा स्थानीय निधि लेखा	(+)3.11	(-)1.19	38.26
4.	07	वाणिज्यिक कर	2030-02-102-2455 न्यायिकेतर स्टांप की बिक्री पर व्यय	(-)23.00	(+)32.57	100
5.	19	लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण	2211-003-0801 केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य 0336-ऑक्जीलियरी नर्स मिड वाईफ एवं हेल्थ विजिटर्स को परिवार कल्याण का प्रशिक्षण	(-)5.79	(+)3.81	65.80
6.	21	आवास एवं पर्यावरण	2059-80-001-3296- मण्डल का स्थापना का व्यय (रा.आ.बा.सा.परि..)	(+)1.86	(-)1.45	77.96
7.	23	जल संसाधन विभाग	2700-11-101-2894- बांध तथा नहरें	(-)2.35	(+)1.21	51.49
8.	23	जल संसाधन विभाग	2700-80-6360- निर्वाचित कृषक संस्थाओं को राशि की व्यवस्था	(-)0.27	(+)16.03	100
9.	23	जल संसाधन विभाग	4701-80-001-0101-3368- मध्यम सिंचाई निर्माण कार्य	(+)2.39	(-)32.04	100
10.	24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	5053-02-102-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-4727- हवाई पटियों का निर्माण एवं विस्तार	(-)0.52	(+)2.52	100
11.	27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	2202-01-001-3930- विकास खण्ड स्तर कार्यालय की स्थापना-मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	(-)0.10	(+)3.41	100
12.	28	राज्य विधान मण्डल	2011-02-101-4007-विधायक/मंत्री	(+)0.85	(-)4.12	100
13.	29	विधि और विधायी कार्य	2015-102-2409- निर्वाचन अधिकारी	(+)1.58	(-)4.32	100
14.	29	विधि और विधायी कार्य	2015-105-4311- संसद के लिये चुनाव कराने का प्रभार	(+)0.52	(-)3.57	100

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15.	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	10-वन विभाग 2406-02-796-110-0702- केन्द्र प्रवर्तित योजना-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-3730- प्रोजेक्ट टाइगर	(+).1.15	(-)82.80	100
16.	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	26- समाज कल्याण विभाग 2235-60-796-191-0102- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना 9141- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	(-).2.06	(+).1.34	65.05
17.	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	35- पशुपालन विभाग 2403-796-001-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना 9331- नवीन गहन पशु विकास परियोजना की स्थापना	(+).1.97	(-).1.21	61.42
18.	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	25- आदिवासी कल्याण विभाग 4225-02-796-277-0102- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना 8799- छात्रावास भवन निर्माण	(+).4.48	(-).1.40	31.25
19.	45	लघु सिंचाई-निर्माण कार्य	2702-80-800-0207-अन्य लघु सिंचाई निर्माण कार्य	(+).1.81	(-).3.08	100
20.	47	तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण	2203-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-8885-स्वशासी तकनीकी संस्थानों को सहायता	(+).6.21	(-).2.14	34.46
21.	48	नर्मदा घाटी विकास	4700-43-001-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-2428- निष्पादन स्थापना (इकाई-1 एवं इकाई-2)	(+).2.44	(-).1.74	71.31
22.	55	महिला एवं बाल विकास	2235-02-103-0101-5067- लाडली लक्ष्मी योजना	(+).12.46	(-).6.78	54.41
23.	61	बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	4702-101-1501- अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)-6068- निर्माणाधीन लघु सिंचाई योजनाएं	(-).0.62	(+).22.96	100
24.	61	बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	4702-101-1501- अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)-6077- नवीन लघु सिंचाई योजनाएं	(+).39.22	(-).30.01	76.52
25.	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	26- समाज कल्याण विभाग 2235-60-789-191-0103 अनुसूचित जाति उपयोजना-9142- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	(-).9.30	(+).2.33	25.05
26.	73	चिकित्सा शिक्षा विभाग	2210-01-110-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-1353- चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबंद्ध चिकित्सालय	(+).2.02	(-).3.46	100
27.	73	चिकित्सा शिक्षा विभाग	2210-05-105-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-4968- चिकित्सा महाविद्यालय	(+).1.73	(-).3.94	100

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिये राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
28.	74	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2235-60-196-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-7084- राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	(-)6.57	(+)3.34	50.84
29.	74	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों को वित्तीय सहायता	2202-02-191-8403- शिक्षाकर्मियों के वेतन के लिये अनुदान	(-)16.44	(+)61.36	100
30.	75	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2235-02-192-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-8786- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	(-)7.04	(+)1.74	24.72

परिशिष्ट - 2.8
(संदर्भ: कांडिका 2.3.9 ; पृष्ठ 56)
पुनर्विनियोजनों/ समर्पणों की दोषपूर्ण संस्वीकृतियां

(₹ करोड़ में)

सरल क्रमांक	स्वीकृतियों की संख्या	अनुदान संख्या	राशि	अनियमितताओं के विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	6	1,3,7,29,31,67	97.60	संबंधित शीर्षों में बजट का प्रावधान उपलब्ध न होना।
2	4	10,11,58	20.39	राजस्व से पूंजीगत में तथा पूंजीगत से राजस्व में अनियमित पुनर्विनियोजन।
3	2	17,33	0.004	समर्पण/पुनर्विनियोजन संस्वीकृति के योग में त्रुटि।
4	5	15,36,63	3.71	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय में संस्वीकृतियों की विलम्ब से प्राप्ति यथा लेखे बन्द करने तथा अन्तिम रूप देने के उपरान्त।
5	3	29,43,74	19.24	संस्वीकृतियाँ वित्त वर्ष 2010-11 की समाप्ति के उपरान्त जारी की गयी थीं।
6	1	47	0.04	योजनाओं का पूर्ण विवरण प्राप्त न होना।
7	1	75	26.27	नई सेवा शीर्ष के लिए पुनर्विनियोजन जिनके लिये कोई बजट प्रावधान उपलब्ध नहीं था।
योग	22	18	167.25	

परिशिष्ट - 2.9

(संदर्भ: कंडिका 2.3.10 ; पृष्ठ 56)

वर्ष के दौरान किये गये सारभूत समर्पणों की समीक्षा के परिणाम

(₹ करोड़ में)

सरल क्रमांक	अनुदान की संख्या तथा शीर्षक	योजना का नाम (लेखा शीर्ष)	समर्पण की राशि (₹ करोड़ में)	समर्पण का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	02-सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	4059-01-051-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य 5668- राज्य सूचना आयोग का भवन निर्माण	2.00	100 %
₹ दो करोड़ के सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण भारत सरकार से राशि प्राप्त न होने के कारण हुआ।				
2.	03-पुलिस	2055-110-5714- ग्राम और नगर समितियों के सदस्यों के लिए बीमा योजना	2.00	100 %
समर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।				
3.	06-वित्त	2052-091-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) 5631- वित्तीय समावेशन हेतु अधोसंरचना विकास	3.00	100 %
समर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।				
4.	06-वित्त	7075-01-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) 5632- जन-निजी भागीदारी अंतर्गत अधोसंरचना विकास हेतु आग्रह	1.00	100 %
समर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।				
5.	07-वाणिज्यिक कर	2045-101-5886- छविगृह इकाईयों का निराकरण	1.35	100 %
₹1.35 करोड़ के सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुआ।				
6.	08-भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	2029-800-1301- केन्द्रीय वित्त आयोग (सामान्य) 5193-आपदा से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम (13वाँ वित्त आयोग)	5.00	100 %
₹ पाँच करोड़ के सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण 13वें वित्त आयोग के अनुसार आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु अनुदान संख्या 58 के अन्तर्गत राहत आयुक्त के लिए राशि उपलब्ध कराने के कारण हुई।				
7.	08-भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	6401-800-0862- कृषक ऋण विधान	1.00	100 %
₹ एक करोड़ के सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण जिलों से ऋण के लिए योग प्राप्त न होने के कारण हुई।				
8.	11-वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	2852-80-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) 6819- विद्युत देयक प्रतिपूर्ति	1.59	100 %
₹1.59 करोड़ के सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण मेला उत्सव एवं प्रदर्शनी के इंतजाम के लिए मांग प्राप्त न होने के कारण हुई।				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9.	11-वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	6860-60-600-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) 6396- डी.एम.आई.सी. परियोजना हेतु ट्राईफैक को भू-अर्जन मुआवजा ऋण	1.00	100 %
₹ एक करोड़ के सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण (ट्राईफैक) निगम द्वारा ऋण प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।				
10.	15-अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय सहायता	58- ग्रामीण विकास विभाग 2501-06-789-198-1503- अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जाति उपयोजना)-6079-सुधार, सुदृढ़ीकरण, पुनर्स्थापना (आर.आर.आर.)	1.55	100 %
₹1.55 करोड़ के सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण केन्द्रांश की राशि प्राप्त नहीं होने के कारण हुआ।				
11.	15-अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय सहायता	58- ग्रामीण विकास विभाग 4515-789-198-0703- केन्द्र प्रवर्तित योजना, अनुसूचित जाति उपयोजना-6099 मध्याह्न भोजन किचन शेड का निर्माण	10.64	100 %
₹10.64 करोड़ के सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण केन्द्रांश की राशि प्राप्त नहीं होने के कारण हुआ।				
12.	21-आवास एवं पर्यावरण	2217-01-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) 6706- लघु एवं मध्य शहरी अधोसंचना विकास योजना हेतु म.प्र. विकास प्राधिकरण संघ को अनुदान	138.17	100 %
₹138.17 करोड़ के सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण लघु एवं मध्यम शहरी अधोसंचना विकास योजना को क्रियान्वित करने वाली नोडल एजेन्सी को बदलने के कारण हुआ।				
13.	22-नगरीय प्रशासन एवं विकास-नगरीय निकाय	4217-01-191-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) 6008- एम्स क्षेत्र के नालों का डायवर्शन	4.00	100 %
₹ चार करोड़ के सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण राज्य योजना आयोग द्वारा वित्त वर्ष 2010-11 की आयोजना सीमा पुनरीक्षित करने के फलस्वरूप हुआ।				
14.	31-योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	3451-101-6267- जिला नवाचार कोष (13 वाँ वित्त आयोग)	10.00	100 %
₹10 करोड़ के सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण वित्त विभाग द्वारा राशि विमुक्त नहीं करने एवं राशि को आयोजनेतर से आयोजना में स्थानांतरित करने के कारण हुआ।				
15.	31-योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	3451-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) 6267- जिला नवाचार कोष (13 वाँ वित्त आयोग)	10.00	100 %
₹10 करोड़ के सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण वर्ष 2010-11 में 13वें वित्त आयोग द्वारा प्रावधानित राशि को विमुक्त नहीं किये जाने से हुआ।				

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिये राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16.	31-योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	3454-02-001-6264-13 वाँ वित्त आयोग-सांख्यिकी अधोसंरचना को मजबूत करना	10.00	100 %
समर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।				
17.	31-योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	3454-02-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) 6264-राज्य की सांख्यिकी अधोसंरचना को मजबूत करना (13 वाँ वित्त आयोग)	10.00	100 %
समर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।				
18.	31-योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	3454-02-111-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) 6562- जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 का प्रभावी कार्यान्वयन	1.00	100 %
₹ एक करोड़ के सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय से देयक प्राप्त नहीं होने के कारण हुआ।				
19.	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	20- स्कूल शिक्षा विभाग 2202-02-796-109-0702- केन्द्र प्रवर्तित योजना, आदिवासी क्षेत्र उपयोजना 6007-मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन	3.60	100 %
₹3.60 करोड़ के सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण केन्द्रांश की राशि प्राप्त नहीं होने के कारण हुआ।				
20.	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	20- स्कूल शिक्षा विभाग 2202-02-796-109-0702- केन्द्र प्रवर्तित योजना, आदिवासी क्षेत्र उपयोजना 6918- सूचना एवं संचार प्रोटोकोल की विद्यालय	20.00	100 %
₹20 करोड़ के सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण केन्द्रांश की राशि प्राप्त नहीं होने के कारण हुआ।				
21.	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	25- आदिम जाति कल्याण विभाग 2225-02-796-001-0802- केन्द्र क्षेत्रीय योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोजना 5155-योजनाओं का अनुश्रवण और मूल्यांकन अनुच्छेद 275(1)	1.32	100 %
समर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।				
22.	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	25- आदिम जाति कल्याण विभाग 2225-02-796-800-0802- केन्द्र क्षेत्रीय आदिवासी क्षेत्र उपयोजना 6902-जनश्री जीवन बीमा योजना	2.00	100 %
समर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
23.	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	26- समाज कल्याण विभाग 2235-60-796-800-0102- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना 5758- कुशाभाऊ अंशदायी पेंशन योजना	6.00	100 %
समर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये है।				
24.	42-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निमाण कार्य- सङ्केत और पुल	5054-04-796-800-0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना, आदिवासी क्षेत्र उपयोजना 5904- नक्सल प्रभावित क्षेत्र की सङ्केत	54.00	100 %
₹54 करोड़ के सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण भूतल परिवहन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों का सीधे भुगतान किये जाने के कारण हुआ।				
25.	44-उच्च शिक्षा	2202-03-102-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य) 6411- बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय की स्थापना	20.00	100 %
₹20 करोड़ के सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण भारत सरकार से राशि स्वीकृत न होने के कारण हुआ।				
26.	52-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	58- ग्रामीण विकास विभाग 2501-06-796-198-1502- अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना) 6079-सुधार सुदृढ़ीकरण पुनर्स्थापना (आर.आर.आर.)	2.85	100 %
₹2.85 करोड़ के सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण हुआ।				
27.	52-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	58- ग्रामीण विकास विभाग 4515-796-198-0702- केन्द्र प्रवर्तित योजना-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना 6099- मध्याहन भोजन-किचन शेड का निर्माण	6.08	100 %
₹6.08 करोड़ के सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण केन्द्रांश कम प्राप्त होने के कारण हुआ।				
28.	55- महिला एवं बाल विकास	2210-80-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) 6955- बाल संजीवनी अभियान योजना	1.24	100 %
समर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये।				
29.	55- महिला एवं बाल विकास	2236-02-101-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 7098- राष्ट्रीय पूरक पोषण आहार मिशन	3.76	100 %
समर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये।				

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिये राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
30.	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-80-102-5503- आपदाग्रस्त क्षेत्रों में तात्कालिक कार्य एवं आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध	10.00	100 %
<p>₹10 करोड़ के सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण, रिक्त पद नहीं भरे जाने एवं आपदाओं की आकस्मिक प्रकृति होने का पुर्वानुमान लगाना संभव नहीं होने के कारण हुआ।</p>				
31.	60-जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	4515-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) 5775- विध्य विकास प्राधिकरण	1.35	100 %
<p>समर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये।</p>				
32.	64- अनुसूचित जाति उपयोजना	20- स्कूल शिक्षा विभाग 2202-02-789-109-0703- केन्द्र प्रवर्तित योजना-अनुसूचित जाति उपयोजना 6007- मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन	2.90	100 %
<p>₹2.90 करोड़ के सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण भारत सरकार से केन्द्रांश की राशि प्राप्त नहीं होने के कारण हुआ।</p>				
33.	64- अनुसूचित जाति उपयोजना	55- अनुसूचित जाति कल्याण विभाग 2055-789-109-0803- केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना-अनुसूचित जाति उपयोजना 5861- सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण केन्द्र	1.00	100 %
<p>₹ एक करोड़ के सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण हुआ।</p>				
34.	64- अनुसूचित जाति उपयोजना	55- अनुसूचित जाति कल्याण विभाग 2225-01-789-800-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना 4986- विमुक्त घुमककड़ जातियों हेतु विशेष प्राधिकरण को अनुदान	1.00	100 %
<p>₹ एक करोड़ के सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण पिछली राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण हुआ।</p>				
35.	64- अनुसूचित जाति उपयोजना	55- अनुसूचित जाति कल्याण विभाग 2225-01-789-800-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना 7560- अनुसूचित जाति उपयोजना के लिये एकमुश्त प्रावधान	1.00	100 %
<p>₹ एक करोड़ के सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण जिले से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुआ।</p>				
36.	67- लोक निर्माण कार्य भवन	4059-80-800-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-5534- परियहन	3.92	100 %
<p>₹3.92 करोड़ के सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण संबंधित विभाग द्वारा कार्य स्वीकृत नहीं होने एवं प्रतिशतता प्रभार की राशि व्यय नहीं किये जाने के कारण हुआ।</p>				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
37.	68- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217-05-796-192-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना 6982-एकीकृत शहरी एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम	2.21	100 %
<p>₹2.21 करोड़ के सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण भारत सरकार द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में स्थित नगरीय निकायों की परियोजनायें स्वीकृत नहीं होने के कारण हुई।</p>				
38.	74- त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2202-01-192-6967- माध्यमिक शालाओं का हाई स्कूलों में उन्नयन	9.37	100 %
<p>समर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये।</p>				
39.	74- त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	4515-198-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य 6099- मध्याह्न भोजन-किचन शेड का निर्माण	13.68	100 %
<p>₹13.68 करोड़ के सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण भारत सरकार से केन्द्रांश की राशि प्राप्त नहीं होने के कारण हुआ।</p>				
40.	75- नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217-05-191-0101- राज्य योजना सामान्य 6982- एकीकृत शहरी एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम	10.15	100 %
<p>₹10.15 करोड़ के सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण भारत सरकार से परियोजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुआ।</p>				
41.	77- स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	2202-02-109-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य 6007- मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन	11.50	100 %
<p>₹11.50 करोड़ के सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण हुआ।</p>				
42.	77- स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	2202-02-109-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य 6918- सूचना एवं संचार प्रोटोकोल की विद्यालय	21.00	100 %
<p>₹21 करोड़ के सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण हुआ।</p>				
43.	77- स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	2202-80-001-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 5704- सक्सेस योजना अंतर्गत हाई स्कूलों का सुदृढ़ीकरण तथा मिडिल स्कूलों का हाई स्कूल में उन्नयन	10.53	100 %
<p>₹10.53 करोड़ के सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण पद रिक्त रहने के कारण हुआ।</p>				

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिये राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
44.	77- स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	2202-80-001-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 6968- हाई स्कूलों का हायर सेकेप्डरी स्कूलों में उन्नयन	1.08	100 %
₹1.08 करोड़ के सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण पद रिक्त रहने के कारण हुआ।				
योग		434.84		

परिशिष्ट - 2.10

(संदर्भ: कांडिका 2.3.11 ; पृष्ठ 56)

वास्तविक बचतों से अधिक समर्पण (₹ 50 लाख अथवा इससे अधिक)

(₹ करोड़ में)

सरल क्रमांक	अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	कुल अनुदान/विनियोग	बचत	समर्पित राशि	अधिक समर्पण की राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजस्व-दत्तमत					
1.	03- पुलिस	2266.40	191.00	194.74	3.74
2.	07- वाणिज्य कर	1226.80	51.78	72.64	20.86
3.	11- वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	161.91	4.75	5.29	0.54
4.	13- किसान कल्याण तथा कृषि विकास	871.38	84.28	90.31	6.03
5.	19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1595.63	185.89	187.11	1.22
6.	31- योजना, आर्थिक और सांस्थिकी	152.54	85.87	86.52	0.65
पूँजीगत-दत्तमत					
7.	12- ऊर्जा	3793.09	186.50	225.67	39.17
8.	67- लोक निर्माण कार्य-भवन	107.86	35.89	36.77	0.88
योग		10175.61	825.96	899.05	73.09

परिशिष्ट - 2.11

(संदर्भ: कंडिका 2.3.12 ; पृष्ठ 57)

विभिन्न अनुदान / विनियोगों का विवरण पत्र जिनमें बचत हुई है परन्तु उसके किसी भी भाग का समर्पण नहीं किया गया है

(₹ करोड़ में)

I -अनुदान			
स.क्रं.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	बचत
(1)	(2)	(3)	(4)
राजस्व-दत्तमत			
1.	14	पशुपालन	55.91
2.	16	मछली पालन	8.67
3.	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	68.60
4.	24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	46.42
5.	38	आयुष	35.71
6.	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	11.41
7.	43	खेल और युवक कल्याण	19.78
8.	50	20 सूत्र कार्यान्वयन	0.95
9.	51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	3.26
10.	60	जिला परियोजना से संबंधित व्यय	0.08
11.	61	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	13.38
12.	62	पंचायत	25.09
13.	67	लोक निर्माण कार्य-भवन	32.55
14.	73	चिकित्सा शिक्षा विभाग	8.22
पूँजीगत-दत्तमत			
15.	10	वन	13.63
16.	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	45.04
17.	27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिकी शिक्षा)	0.28
18.	29	विधि और विधायी कार्य	0.50
19.	36	परिवहन	1.20
20.	38	आयुष	0.08
21.	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	8.60
22.	43	खेल और युवक कल्याण	0.13
23.	47	तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण	0.02
24.	73	चिकित्सा शिक्षा विभाग	6.55
II -विनियोग			
राजस्व-प्रभारित			
25.	11	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	0.05
26.	16	मछली पालन	0.02
27.	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	0.11
28.	21	आवास एवं पर्यावरण	0.01
29.	24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	1.98
30.	27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिकी शिक्षा)	0.24
31.	34	समाज कल्याण	0.03
32.	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	0.02

(1)	(2)	(3)	(4)
33	62	पंचायत	0.02
34	67	लोक निर्माण कार्य-भवन	1.52
पूजीगत प्रभारित			
35	लोक ऋण	लोक ऋण	3392.77
36	11	वाणिज्य, उद्योग एवं सेजगार	0.02
37	21	आवास एवं पर्यावरण	0.02
योग			3802.87

परिशिष्ट - 2.12

(संदर्भ: कंडिका 2.3.12 ; पृष्ठ 57)

₹ एक करोड़ तथा इससे अधिक की समर्पित नहीं की गयी बचतों के विवरण

(परिशिष्ट - 2.11 में दिये गये प्रकरणों को छोड़कर)

(₹ करोड़ में)

संक्र.	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	बचत	समर्पण	बचत जो समर्पण की जाने से रह गई
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
राजस्व-प्रभारित				
1.	ब्याज भुगतान-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	760.21	53.60	706.61
2.	06-वित्त	12.41	सांकेतिक	12.41
राजस्व-दत्तमत				
3.	01-सामान्य प्रशासन	24.57	18.20	6.37
4.	02-सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	13.27	1.47	11.80
5.	04-गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	5.62	2.53	3.09
6.	06-वित्त	1501.85	710.26	791.59
7.	08-भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	117.92	69.11	48.81
8.	10-वन	161.68	35.54	126.14
9.	12-ऊर्जा	3.96	2.60	1.36
10.	15-अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	248.53	244.75	3.78
11.	18-श्रम	9.30	5.64	3.66
12.	21-आवास एवं पर्यावरण	146.07	139.66	6.41
13.	23-जल संसाधन विभाग	23.15	2.91	20.24
14.	25-खनिज संसाधन	3.09	1.73	1.36
15.	26-संस्कृति	3.20	1.12	2.08
16.	27-स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	67.35	21.81	45.54
17.	28-राज्य विधान मंडल	8.20	0.78	7.42
18.	29-विधि और विधायी कार्य	259.71	166.90	92.81
19.	30-ग्रामीण विकास	29.65	0.37	29.28
20.	33-आदिम जाति कल्याण	77.92	14.77	63.15
21.	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	242.71	130.15	112.56
22.	44-उच्च शिक्षा	182.71	132.58	50.13
23.	45-लघु सिंचाई निर्माण कार्य	4.00	0.49	3.51
24.	47- तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण	31.39	14.80	16.59
25.	52-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	203.64	183.54	20.10

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
26.	55-महिला एवं बाल विकास	138.33	122.36	15.97
27.	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	45.44	11.80	33.64
28.	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	174.41	167.24	7.17
29.	66-पिछड़ा वर्ग कल्याण	5.81	4.75	1.06
30.	74-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	429.71	341.40	88.31
31.	75-नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	437.24	434.96	2.28
32.	77-स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	157.88	128.30	29.58
33.	78-उद्यानिकी तथ खाद्य प्रसंस्करण	10.27	6.94	3.33
पूंजीगत दत्तमत				
34.	01-सामान्य प्रशासन	3.48	1.84	1.64
35.	06-वित्त	74.94	1.00	73.94
36.	11-वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	102.34	98.35	3.99
37.	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	5.71	4.57	1.14
38.	23-जल संसाधन विभाग	82.05	7.93	74.12
39.	24-लोक निर्माण कार्य सड़कें और पुल	287.96	272.76	15.20
40.	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	178.28	101.64	76.64
41.	42-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	92.05	84.17	7.88
42.	44-उच्च शिक्षा	1.92	0.19	1.73
43.	45-लघु सिंचाई निर्माण कार्य	371.67	95.77	275.90
44.	48-नर्मदा धाटी विकास	103.90	96.57	7.33
45.	57-जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	74.90	11.46	63.44
46.	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2.93	0.43	2.50
47.	61-बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	38.48	2.51	35.97
48.	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	95.49	60.05	35.44
49.	74-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	15.88	13.68	2.20
50.	77-स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	7.00	5.00	2.00
पूंजीगत प्रभारित				
51.	23-जल संसाधन विभाग	1.28	0.09	1.19
योग		7081.46	4031.07	3050.39

परिशिष्ट - 2.13

(संदर्भ: कंडिका 2.3.12 ; पृष्ठ 57)

31 मार्च 2011 को ₹ 10 करोड़ से अधिक निधियों के समर्पण के प्रकरण

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	बजट अनुदान	समर्पण की राशि	कुल प्रावधान का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ब्याज भुगतान	2049	5809.16	53.60	0.92
2.	03	2055	2143.08	186.50	8.70
3.	07	2030	287.88	35.05	12.18
4.	07	2039	986.52	22.66	2.39
5.	07	2040	112.96	13.15	11.64
6.	08	2029	430.00	63.99	14.88
7.	10	2406	1128.47	33.92	3.01
8.	11	6856	100.00	97.25	97.25
9.	12	2045	583.22	88.82	15.23
10.	12	6801	3415.50	225.67	6.60
11.	13	2401	822.56	90.37	10.99
12.	15	2505	142.38	18.59	13.06
13.	15	2515	449.33	199.47	44.39
14.	15	4515	23.64	10.64	45.01
15.	15	2235	107.31	11.92	11.11
16.	17	2425	203.00	11.80	5.81
17.	19	2210	1324.94	160.07	12.08
18.	19	2211	265.24	27.08	10.21
19.	24	5054	1774.34	272.24	15.34
20.	27	2202	3547.94	21.81	0.61
21.	29	2014	626.87	177.33	28.29
22.	31	3451	28.09	15.91	56.65
23.	31	3454	124.45	50.61	40.67
24.	33	2202	733.29	11.16	1.52
25.	34	2235	128.57	43.27	33.65
26.	41	2202	628.84	43.12	6.86
27.	41	2225	321.32	20.24	6.30
28.	41	2235	213.56	27.39	12.83
29.	41	2236	144.30	10.74	7.44
30.	41	2401	197.29	14.44	7.32
31.	41	4225	280.01	41.90	14.96
32.	41	4515	130.91	14.47	11.05

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
33.	42	5054	343.07	84.17	24.53
34.	44	2202	789.62	132.60	16.79
35.	47	2203	164.80	14.80	8.98
36.	52	2505	214.92	30.12	14.01
37.	52	2515	259.38	113.98	43.94
38.	53	2217	64.91	30.69	47.28
39.	55	2235	799.45	111.61	13.96
40.	58	2245	1580.64	11.80	0.75
41.	59	4515	57.00	28.50	50.00
42.	64	2236	111.10	13.11	11.80
43.	64	2425	38.12	11.35	29.77
44.	64	5054	241.19	26.38	10.94
45.	64	2225	334.07	31.73	9.50
46.	64	2202	251.35	19.69	7.83
47.	64	2235	254.09	62.52	24.61
48.	67	4059	80.32	20.67	25.73
49.	68	2217	31.59	18.56	58.75
50.	74	2202	1099.83	42.07	3.83
51.	74	2235	236.82	10.29	4.35
52.	74	2501	240.21	10.00	4.16
53.	74	2505	227.24	32.86	14.46
54.	74	2515	1053.19	210.05	19.94
55.	74	4515	181.68	13.68	7.53
56.	75	2202	235.56	15.74	6.68
57.	75	2217	765.97	176.76	23.08
58.	75	2235	131.02	10.91	8.33
59.	75	3604	2177.22	162.33	7.46
60.	77	2202	1001.07	85.88	8.58
योग			40180.40	3648.03	9.08

परिशिष्ट - 2.14
(संदर्भ: कंडिका 2.3.13 ; पृष्ठ 57)
व्यय की अधिकता

(₹ करोड़ में)

स.क्र .	अनुदान संख्या, नाम, मुख्य शीर्ष	योजना संख्या	जनवरी मार्च 2011 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2011 में किया गया व्यय	कुल व्यय	निम्नलिखित का कुल व्यय से प्रतिशत	
						जनवरी- मार्च 2011	मार्च 2011
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	03-पुलिस, मु.शी.2055,4055	2643	70.02	63.43	70.68	99.07	89.74
2.	06-वित्त, मु.शी.2052	5614	16.11	16.11	27.64	58.29	58.29
3.	07-वाणिज्यिक कर, मु.शी.2030, 2039,2040	8808	11.82	10.75	12.56	94.11	85.59
4.	08-भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन, मु.शी.2029	6337	52.45	52.45	52.45	100	100
5.	12-ऊर्जा, मु.शी.2801	5114	15.00	15.00	20.00	75.00	75.00
6.	12-ऊर्जा, मु.शी.6801	5488	1981.37	1636.37	2681.37	73.89	61.03
7.	12-ऊर्जा, मु.शी.4801	5523	62.47	62.47	69.97	89.28	89.28
8.	12-ऊर्जा, मु.शी.6801	6869	23.71	23.71	23.71	100	100
9.	13-किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मु.शी.2401	5626	215.91	196.82	265.03	81.47	74.26
10.	13-किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मु.शी.2401	6366	25.00	25.00	25.00	100	100
11.	15-अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता, मु.शी.2216	5198	26.17	21.70	41.24	63.46	52.62
12.	15-अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता, मु.शी.2215	52.06	10.02	10.08	18.47	54.25	54.57
13.	16-मछली पालन, मु.शी.2405	5626	11.15	10.86	16.90	65.98	64.26
14.	17-सहकारिता, मु.शी.2425	6934	16.89	16.89	16.89	100	100
15.	17-सहकारिता, मु.शी.2425	9254	76.70	61.55	109.55	70.01	56.18
16.	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मु.शी.2210	6229	19.44	16.06	23.94	81.20	67.08
17.	20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिक, मु.शी.4215,2215	0693	13.39	12.77	16.07	83.32	79.46
18.	22-नगरीय प्रशासन एवं विकास- नगरीय निकाय, मु.शी.2217	7400	51.00	51.00	51.10	99.80	99.80
19.	23- जल संसाधन विभाग, मु.शी.4700,4701	2897	142.28	120.95	206.97	68.74	58.44
20.	27- स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा), मु.शी.2202,4202	6809	36.81	36.81	40.87	90.06	90.06

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	27- स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा), मु.शी.2202	8810	506.61	463.77	896.14	56.53	51.75
22.	31- योजना आर्थिक एवं सांचियकी, मु.शी.3454	6268	24.97	24.97	24.97	100	100
23.	37- पर्यटन, मु.शी.5452	7630	19.60	17.99	30.89	63.45	58.24
24.	39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण, मु.शी.2408	0570	14.91	14.91	14.91	100	100
25.	39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण, मु.शी.2408	5623	152.72	152.72	290.00	52.66	52.66
26.	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना, मु.शी.4701	5152	26.33	14.34	26.45	99.55	54.22
27.	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना, मु.शी.4801	6929	24.50	21.00	30.00	81.67	70
28.	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना, मु.शी.4225	7881	62.02	60.55	116.39	53.29	52.02
29.	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना, मु.शी.4801,6801	7900	75.78	75.78	120.83	62.72	62.72
30.	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना, मु.शी.2235	8786	13.94	13.94	25.87	53.88	53.88
31.	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना, मु.शी.4801	9252	12.00	12.00	14.00	85.71	85.71
32.	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना, मु.शी.2425	9254	19.47	19.47	32.36	60.17	60.17
33.	44-उच्च शिक्षा, मु.शी.4202	7643	30.95	30.95	39.28	78.79	78.79
34.	47- तकनिकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण, मु.शी.2203,4202	2667	77.76	69.11	125.22	62.10	55.19
35.	47-तकनिकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण, मु.शी.2230	6951	16.77	16.75	22.88	73.30	73.21
36.	47-तकनिकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण, मु.शी.4202	6952	16.00	16.00	17.06	93.79	93.79
37.	48- नर्मदा धारी विकास, मु.शी.4700,4801	9091	38.51	36.94	39.81	96.73	92.79
38.	52-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता, मु.शी.2236	5169	32.18	29.41	51.25	62.79	57.39
39.	52-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता, मु.शी.2216	5198	30.35	25.03	48.31	62.82	51.81
40.	52-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता, मु.शी.2215	5206	11.75	11.81	20.59	57.07	57.36

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिये राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

1	2	3	4	5	6	7	8
41.	52-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता, मु.शी.3604	6086	16.64	16.64	33.28	50	50
42.	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय, मु.शी.2245	0475	495.85	495.85	495.85	100	100
43.	61- बुदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय, मु.शी.4700	2884	112.18	105.79	136.84	81.98	77.31
44.	61- बुदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय, मु.शी.4705	6067	83.42	83.06	87.96	94.84	94.43
45.	61- बुदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय, मु.शी.4702	6068	60.35	53.29	94.00	64.20	56.69
46.	61- बुदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय, मु.शी.4702	6069	40.04	38.98	43.59	91.86	89.42
47.	61- बुदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय, मु.शी.4702	6074	18.59	18.48	19.02	97.74	97.16
48.	61- बुदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय, मु.शी.4702	6077	119.85	115.74	161.31	74.30	71.75
49.	64-अनुसूचित जाति उपयोजना, मु.शी.2225	4722	18.86	18.15	32.75	57.59	55.42
50.	64-अनुसूचित जाति उपयोजना, मु.शी.4202	5086	11.60	11.60	11.60	100	100
51.	64-अनुसूचित जाति उपयोजना, मु.शी.2401,2405	5626	48.98	45.65	75.31	65.04	60.62
52.	64-अनुसूचित जाति उपयोजना, मु.शी.4801	6929	39.25	31.00	45.00	87.22	68.89
53.	64-अनुसूचित जाति उपयोजना, मु.शी.2210,4210	6974	38.83	38.57	63.27	61.37	60.96
54.	64-अनुसूचित जाति उपयोजना, मु.शी.2425	7895	14.78	14.78	14.78	100	100
55.	64-अनुसूचित जाति उपयोजना, मु.शी.4801,6801	7900	92.42	92.42	165.16	55.96	55.96
56.	72- भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास, मु.शी.2210,4210	0775	35.58	34.59	40.28	88.33	85.87
57.	72- भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास, मु.शी.2235	3757	33.81	33.80	34.43	98.20	98.17
58.	72- भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास, मु.शी.4235	4889	51.83	51.83	52.00	99.67	99.67
59.	72- भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास, मु.शी.2202	6280	104.00	104.00	104.00	100	100
60.	72- भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास, मु.शी.4235	6281	47.60	47.60	52.52	90.63	90.63
61.	74- त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता, मु.शी.2216	5198	38.36	31.67	60.69	63.21	52.18
62.	74- त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता, मु.शी.2215	5206	14.52	14.59	25.66	56.59	56.86

1	2	3	4	5	6	7	8
63.	75-नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता, मु.शी.6217	5728	15.00	15.00	15.00	100	100
64.	75-नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता, मु.शी.2217	6981	116.60	116.60	169.61	68.75	68.75
65.	76- लोक निर्माण से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ, मु.शी.5054	7085	12.96	12.96	14.46	89.63	89.63
66.	77-स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर), मु.शी.2202	6005	50.03	50.03	50.03	100	100
67.	77-स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर), मु.शी.4202,2202	6970	11.63	11.63	11.63	100	100
68.	78- उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण, मु.शी.2401	5626	16.87	16.33	23.06	73.16	70.82
69.	CH1-भारित (विनियोग) लोक ऋण, मु.शी.6003	2199	105.00	105.00	105.00	100	100
70.	CH2-ब्याज की अदायगी और सेवा, मु.शी.2049	5691	384.78	307.83	384.78	100	80
71.	CH2-ब्याज की अदायगी और सेवा, मु.शी.2049	6237	49.02	49.02	49.02	100	100
योग			6383.86	5770.88	8449.50	75.55	68.30

परिशिष्ट - 2.15

(संदर्भ: कंडिका 2.3.13 ; पृष्ठ 57)

केन्द्रीय योजनाओं से संबंधित राशि का 8443-सिविल जमा 800- अन्य जमा में अंतरण दिखाने वाला विवरण पत्रक

(₹ करोड़ में)

सं.क्र.	अनुदान संख्या तथा नाम	योजना का नाम एवं बौरेवार शीर्ष तक लेखाओं का शीर्ष	कुल बजट प्रावधान मूलभूत	किया गया व्यय	8443-सिविल जमा 800-अन्य जमा में अंतरित राशि
1	2	3	4	5	6
1	20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	4215-01-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य 2580-पाइपों द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना	147.01	152.05	5.67
2	20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	4215-01-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य 9489-प्रदेश में फ्लोरासिस नियंत्रण कार्यक्रम	73.22	45.45	1.00
3	39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	3475-106-0801-केन्द्र क्षेत्रिय योजना (सामान्य) 6113-संभागीय कार्यालय का सुदृढ़ीकरण	2.00	2.00	2.00
4	41- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (आदिम जाति कल्याण विभाग)	2225-02-796-800-0802-केन्द्र क्षेत्रिय योजना अनुसूचित जनजाति उप-योजना 6500- विशेष पिछड़ी जनजातियों का विकास	54.28	50.44	13.00
5	41- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (आदिम जाति कल्याण विभाग)	4225-02-796-102-0802-केन्द्र क्षेत्रिय योजना अनुसूचित जनजाति उप-योजना 7881- आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में विविध विकास कार्य अनुच्छेद 275(1)	135.13	116.39	40.00
6	47-तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण	2203-105-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य 2667-पोलिटेक्निक संस्थाएँ	16.56	11.20	11.20
7	47-तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण	2230-03-003-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य 6369- राज्य क्रियान्वयन प्रकोष्ठ की स्थापना	0.24	0.18	0.18
8	47-तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण	4202-02-104-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य 2667-पोलिटेक्निक संस्थाएँ	45.80	45.80	45.20
9	55- महिला एवं बाल विकास	2235-02-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य 0658- एकीकृत बाल विकास सेवा योजना	445.27	367.12	5.20

1	2	3	4	5	6
10	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-80-800-1301- केन्द्रीय वित्त आयोग 6370-13वें वित्त आयोग के अंतर्गत क्षमता निर्माण	5.00	5.00	5.00
11	61-बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	4401-102-1501-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य) 6080-भण्डार एवं विपणन	110.97	110.97	110.97
12	61-बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	4401-102-1503-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य) -6080-भण्डार एवं विपणन	27.74	27.74	27.74
13	61-बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	4700-22-800-1501-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य) 2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	138.43	136.84	104.12
14	61-बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	4702-101-1501--अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य) 6068- निर्माणाधीन लघु सिंचाई योजनाएँ	71.66	94.00	20.34
15	61-बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	4702-101-1501-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य) 6069- सुधार, सुदृढ़ीकरण पुनर्स्थापना (पोखर/तालाब)	47.23	43.59	35.17
16	61-बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	4702-101-1501--अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य) 6071- उदहन सिंचाई योजनाओं का सुधार	5.46	5.43	5.43
17	61-बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	4702-101-1501--अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य) 6074- नहर क्षमता की पुनः प्राप्ति	64.00	19.02	17.44
18	61-बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	4702-101-1501--अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य) 6077- नवीन लघु सिंचाई योजनाएँ	152.10	161.31	83.13
19	61-बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	4705-211-1501--अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य) 6067- कमांड क्षेत्र विकास-राजघाट परियोजना	87.94	87.96	80.99
20	64-अनुसूचित जाति उपयोजना (लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी)	4215-01-789-102-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उप-योजना) 2580- पाइपों द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना	40.88	34.30	0.34
21	64-अनुसूचित जाति उपयोजना (लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी)	4215-01-789-102-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उप-योजना) 9489- प्रदेश में फ्लोरोसिस नियंत्रण कार्यक्रम	37.97	30.97	1.33

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिये राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

1	2	3	4	5	6
22	72-भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	2202-01-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य) 6280-आर्थिक पुनर्वास	104.00	104.00	104.00
	योग		1812.89	1651.76	719.45

परिशिष्ट - 2.16

(संदर्भ: कंडिका 2.3.14 ; पृष्ठ 58)

(अ) पूँजीगत अनुभाग से संबंधित शीर्ष 63-मशीनें एवं 64- वृहद निर्माण कार्य के अंतर्गत प्रावधान का राजस्व अनुभाग में वर्गीकरण

(₹ करोड़ में)

सं.क्र.	अनुदान संख्या तथा नाम	योजना का नाम	राशि	उद्देश्य शीर्ष में वर्गीकृत
1	2	3	4	5
1	03- पुलिस	2055-114-4155- वायरलेस कार्यालय भोपाल एवं ग्वालियर	6.25	63
2	19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-01-110-6050-जिला स्तरीय ब्लड बैंक व सीमांक ब्लड स्टोरेज यूनिट की स्थापना	2.01	63
3	19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-01-110-6051- चिकित्सालयों के लिये जनरेटर	9.00	63
4	19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-01-110-0101-8798- चिकित्सालयों का उन्नयन	1.45	63
5	19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-01-196-1473- जिला चिकित्सालय	3.80	63
6	19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-03-103-2777- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	5.35	63
7	19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-03-103-0101-7317- ग्रामीण चिकित्सा संस्थाओं का उन्नयन	1.50	63
8	19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2211-003-0801-0336- ऑक्जीलियरी नर्स मिड वाईफ एवं हेल्थ विजीटर्स को परिवार कल्याण का प्रशिक्षण	1.00	63
9	19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2211-102-0801-2703- प्रत्यक्ष व्यय	1.00	63
10	39- खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	3475-106-0801-6113- संभागीय कार्यालय का सुदृढ़ीकरण	2.00	64
11	41- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	2215-01-796-102-0702-1201- ग्रामीण पाइप जल प्रदाय योजना	41.69	64
12	47- तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण	2203-105-0101-2667- पोलीटेक्निक संस्थाएँ	1.68	63
13	47- तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण	2203-105-0701-2667- पोलीटेक्निक संस्थाएँ	1.01	63
14	47- तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण	2230-03-003-0101-0717- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएँ	3.24	63
15	47- तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण	2230-03-003-0701-6951- शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का उत्कृष्ट संस्थाओं में विकास	21.00	63
16	47- तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण	2230-03-003-0701-6951- शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का उत्कृष्ट संस्थाओं में विकास	1.00	64

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिये राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

1	2	3	4	5
17	64- अनुसूचित जाति उपयोजना	2210-01-800-0103-6974-सागर चिकित्सा महाविद्यालय	10.00	63
18	73- चिकित्सा शिक्षा विभाग	2210-01-110-0101-1353-चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय	2.50	63
19	73- चिकित्सा शिक्षा विभाग	2210-05-105-0101-6988-चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध चिकित्सालयों में आकस्मिक चिकित्सा सेवाओं का उन्नयन	1.50	63
20	06- वित्त	2054-095-8808- सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	30.00	63
21	10- वन	2406-01-001-0101-2723- प्रशासन का सुदृढ़ीकरण	1.93	63
22	10- वन	2406-01-102-0701-5317- गहन वन प्रबंधन	4.14	63
23	48- नर्मदा घाटी विकास	2402-102-0701-1580-मेक्रोमैनेजमेंट योजना	11.01	64
24	28- राज्य विधानमण्डल	2011-02-103-4009- विधानसभा सचिवालय	1.00	63
25	43- खेल और युवक कल्याण	2204-800-0101-5159- खेल अकादमी की स्थापना	1.60	63
		योग	166.66	

(ब) राजस्व अनुभाग से संबंधित शीर्ष 42-अनुदान के अंतर्गत प्रावधान का पूंजीगत अनुभाग में वर्गीकरण
(₹ करोड़ में)

सं.क्र.	अनुदान संख्या तथा नाम	योजना का नाम	राशि	उद्देश्य शीर्ष में वर्गीकृत
1	2	3	4	5
1	27- स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	4202-01-800-0701-6809-कस्तूरबा गांधी ग्राम कन्या विद्यालय	36.81	42
2	27- स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	4202-01-201-0101-5776-सर्वशिक्षा अभियान अंतर्गत अपूर्ण शाला भवनों को पूर्ण किया जाना	1.03	42
3	30- ग्रामीण विकास	4515-800-0701-6655- मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को अनुदान	70.00	42
4	30- ग्रामीण विकास	4515-800-0101-5129- राज्य ग्रामीण सड़क कनेक्टीविटी	1.87	42
5	30- ग्रामीण विकास	4515-800-0101-5853-डी.पी.आई.पी. योजना	5.00	42
		योग	114.71	

परिशिष्ट - 2.17

(संदर्भ: कंडिका 2.4.1 ; पृष्ठ 59)

चयनित अनुदानों के अधीन योजना जिनमें सारभूत बचतें ₹ दो करोड़ से अधिक और प्रावधान के 20 प्रतिशत से भी अधिक थी

(₹ करोड़ में)

सं.क्र.	अनुदान संख्या तथा योजना का नाम	बचत (प्रतिशत) 2010-11
1	2	3
13- किसान कल्याण तथा कृषि विकास		
1	2401-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-0921-राष्ट्रीय दलहन विकास योजना	9.34 (100)
2	2401-103-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य-9185-बीज ग्राम योजना	6.06 (21.03)
3	2401-108-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-4325-सघन कपास विकास कार्यक्रम	4.33 (95.16)
4	2401-109-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-6891-राज्य स्तरीय कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान	4.36 (66.46)
5	2401-113-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-5626-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	36.00 (50)
6	2401-113-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-1580- मैक्रोमैनेजमेंट योजना	4.43 (49.72)
7	2401-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-1580- मैक्रोमैनेजमेंट योजना	24.59 (37.29)
48- नर्मदा धारी विकास		
8	2055-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-4492-सामान्य व्यय (विशेष पुलिस)	2.72 (38.20)
9	2402-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-1580- मैक्रोमैनेजमेंट योजना	5.57 (50.59)
74- त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता		
10	2202-01-192-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-6967- माध्यमिक शालाओं का हाई स्कूलों में उन्नयन	9.37 (100)
11	2202-02-192-0101-6968- हाई स्कूलों का हायर सेकण्डरी स्कूलों में उन्नयन	2.86 (20.43)
12	2235-60-196-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-8786-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	5.99 (32.79)
13	2235-60-197-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-8786-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	6.05 (33.11)
14	2401-196-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-0921- राष्ट्रीय दलहन विकास योजना	4.00 (100)
15	2401-196-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-1580- मैक्रोमैनेजमेंट योजना	3.66 (86.94)
16	2401-196-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-4325-सघन कपास विकास कार्यक्रम	2.60 (64.68)
17	2501-06-198-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-6079-सुधार, सुदृढ़ीकरण, पुनर्स्थापना (आर.आर.आर.)	5.01 (89.46)
18	2505-01-198-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-6923-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	138.86 (61.11)
19	2515-198-0801-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-7886-मध्याह्न भोजन सामग्री परिवहन	209.53 (77.60)
20	3604-198-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-6086- राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर अधोसंरचना विकास हेतु अनुदान	55.47 (100)
	योग	540.80

परिशिष्ट - 2.18

(संदर्भ: कंडिका 2.4.1 ; पृष्ठ 59)

चयनित अनुदानों के अधीन योजनाएँ जिनमें ₹ एक करोड़ या इससे अधिक के सारभूत आधिक्य

हुए

(₹ करोड़ में)

सं.क्र.	अनुदान संख्या तथा योजना का नाम	आधिक्य (प्रतिशत) 2010-11
1	2	3
13- किसान कल्याण तथा कृषि विकास		
1.	2401-001-0119-अधीनस्थ तथा विशेष कर्मचारी (जिला एवं अधीनस्थ स्तर का अमला)	12.47 (7.75)
2.	2401-102-0101-राज्य आयोजना सामान्य-5647- कृषकों को सिंचाई उपकरणों के लिए विशेष सहायता टाप-अप अनुदान	3.85 (32.11)
3.	2401-108-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-0927- राष्ट्रीय तिलहन विकास योजना	6.80 (25.34)
4.	2401-110-0101-राज्य आयोजना सामान्य-8768-राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना	3.74 (15.07)
48- नर्मदा घाटी विकास		
5.	2801-01-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6818-सरदार सरोवर परियोजना के परिचालन एवं संधारण व्यय	1.00 (11.11)
74- त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता		
6.	2202-02-191-8403-शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिये अनुदान	44.92 (15.65)
7.	2216-03-198-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-5198- इंदिरा आवास योजना	25.18 (70.93)
8.	2401-196-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-0927-राष्ट्रीय तिलहन विकास योजना	4.72 (41.29)
9.	2501-06-198-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 9249-बैकवर्ड रिजन ग्राण्ड फण्ड योजना	78.00 (44.66)
10.	3604-197-4610- अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध अनुदान	54.83 (25.33)
	योग	235.51

परिशिष्ट - 2.19

(संदर्भ: कांडिका 2.4.1 ; पृष्ठ 59)

(अ) वे प्रकरण जिनमें चयनित अनुदानों की योजनाओं के अधीन अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

संख्या	अनुदान तथा योजनाओं का विवरण	अनुपूरक प्रावधान की अनुपयोगी राशि
1	2	3
13- किसान कल्याण तथा कृषि विकास		
1.	2401-113-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-0903-कृषि यांत्रिकी संचालनालय की स्थापना	0.64
2.	2202-01-192-6967- माध्यमिक शालाओं से हाई-स्कूलों में उन्नयन	9.37
योग		10.01

(ब) वे प्रकरण जिनमें चयनित अनुदानों की योजनाओं के अधीन अनुपूरक प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

संख्या	अनुदान तथा योजनाओं का विवरण	मूल	अनुपूरक प्रावधान	व्यय	बचत
1	2	3	4	5	6
13- किसान कल्याण तथा कृषि विकास					
1.	2401-103-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)-9185-बीज ग्राम योजना	15.56	13.26	22.76	6.06
2.	2401-113-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-5626- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	----	72.00	36.00	36.00
74- त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता					
3.	2515-198-6226-13वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को विशेष क्षेत्र अनुदान	----	22.57	19.91	2.66
योग		15.56	107.83	78.67	44.72

(स) वे प्रकरण जिनमें चयनित अनुदानों की योजनाओं के अधीन अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

संख्या	अनुदान तथा योजनाओं का विवरण	मूल	अनुपूरक प्रावधान	व्यय	आधिक्य
1	2	3	4	5	6
13- किसान कल्याण तथा कृषि विकास					
1.	2401-001-0119- अधीनस्थ तथा विशेष कर्मचारी (जिला एवं अधीनस्थ स्तर का अमला)	154.11	6.80	173.38	12.47
योग		154.11	6.80	173.38	12.47

परिशिष्ट - 2.20

(संदर्भ: कंडिका 2.4.3 ; पृष्ठ 60)

चयनित अनुदानों की समीक्षा में पाये गये मार्च 2011 में व्यय की अत्यधिकता के प्रकरण

(₹ करोड़ में)

सरल क्रमांक	अनुदान संख्या	योजना का नाम	कुल व्यय	मार्च 2011 में किया गया व्यय	कुल व्यय की तुलना में मार्च में व्यय का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1.	13	2401-105- खाद तथा उर्वरक 6366- खाद और उर्वरक की व्यवस्था हेतु पूंजी पर ब्याज	25.00	25.00	100
2.	13	2401-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-9197- राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था का गठन व संचालन	0.25	0.19	76
3.	13	2401-108-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-4325-सघन कपास विकास कार्यक्रम	0.22	0.11	50
4.	13	2401-108-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-0927-राष्ट्रीय तिलहन विकास योजना	33.64	16.29	48.43
5.	13	2401-109-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) 8173-उज्जैन में कृषक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना	0.20	0.10	50
6.	13	2401-109-0101- राज्य आयोजना सामान्य- 8808-सूचना प्रोटोगिक से संबंधित कार्य	2.38	1.33	55.88
7.	13	2401-113-0101-राज्य आयोजना सामान्य- 5626- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	36.00	36.00	100
8.	13	2401-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-1580-मैक्रोमैनेजमेंट योजना	41.35	16.15	39.06
9.	13	2401-113-0801-केन्द्र क्षेत्रिय योजना (सामान्य)-5907- पोर्ट हार्ड्स्ट टेक्नॉलॉजी एवं मैनेजमेंट	0.42	0.17	40.48
10.	13	2401-103-0801-केन्द्र क्षेत्रिय योजना (सामान्य)-9185-बीज ग्राम योजना	22.76	10.45	45.92
11.	13	2401-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-5647- कृषकों को सिंचाई उपकरणों के लिए विशेष सहायता टाप-अप अनुदान	15.84	6.97	44.01
12	74	2216-03-198-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-5198-इंदिरा आवास योजना	60.69	31.67	52.18
13.	74	2215-02-198-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-5206- पूर्ण स्वच्छता अभियान	25.66	14.59	56.85

1	2	3	4	5	6
14.	74	2401-196-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-0927-राष्ट्रीय तिलहन विकास योजना	16.15	8.36	51.76
15.	74	3604-197- जनपद पंचायतों का सहायता 6107- राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर जनपद पंचायतों को सामान्य प्रयोजन हेतु अनुदान	17.97	9.81	54.59
योग			298.53	177.19	59.36

परिशिष्ट 3.1

(संदर्भ: कांडिका 3.2 ; पृष्ठ 63)

स्वायत्तशासी निकायों के लेखों की स्थिति दर्शानेवाला विवरण-पत्रक

सरल क्रमांक	निकाय का नाम	सौंपने की अवधि	वर्ष जब तक लेखे प्रस्तुत किए गए	अवधि जबतक पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए	विधानसभा में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रस्तुति	लेखाओं की प्रस्तुति में विलंब	विलंब की अवधि (माह)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	म.प्र. गृहनिर्माण मंडल, भोपाल	2006-07 तक	2006-07	2006-07 तक	2003-04	--	
2.	म.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल	2009-10 तक	2005-06	2005-06	2004-05	--	2006-07: (48) 2007-08: (36) 2008-09: (24) 2009-10: (12)
3.	म.प्र. मानवाधिकार आयोग, भोपाल	संसद के अधिनियम द्वारा सौंपा	2008-09	2008-09	2007-08	--	2009-10: (12) 2010-11: (निरंक)
4.	म.प्र. भवन तथा निर्माण कार्यकर्ता कल्याण मण्डल, भोपाल	तदैव	आरम्भ से लेखे नहीं भेजे (2003-04)	--	--	--	84
5.	म.प्र. राज्य विधिक सेवा, प्राधिकरण, जबलपुर	तदैव	आरम्भ से लेखे नहीं भेजे (1997-98)	--	--	--	156
6.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर	तदैव	आरम्भ से लेखे नहीं भेजे (1998-99)				144
7.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बड़वानी	तदैव	आरम्भ से लेखे नहीं भेजे (2006-07)	--	--	--	48
8.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरदा	तदैव	तदैव	--	--	--	48
9.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नीमच	तदैव	तदैव	--	--	--	48
10	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्योपुर	तदैव	तदैव	--	--	--	48

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिये राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालाघाट	संसद के अधिनियम द्वारा सौंपा	1998-99 से लेखे नहीं भेजे	--	--	--	144
12.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बैतूल	-तदैव-	-तदैव-	--	--	--	-तदैव-
13.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भिन्ड	-तदैव-	-तदैव-	--	--	--	-तदैव-
14.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भोपाल	-तदैव-	-तदैव-	--	--	--	-तदैव-
15.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, छतरपुर	-तदैव-	-तदैव-	--	--	--	-तदैव-
16.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, छिन्दवाडा	-तदैव-	-तदैव-	--	--	--	-तदैव-
17.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दमोह	-तदैव-	-तदैव-				-तदैव-
18.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दतिया	-तदैव-	-तदैव-	--	--	--	-तदैव-
19.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देवास	-तदैव-	-तदैव-	--	--	--	-तदैव-
20.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धार	-तदैव-	-तदैव-	--	--	--	-तदैव-
21.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गुना	-तदैव-	-तदैव-	--	--	--	-तदैव-
22.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ग्वालियर	-तदैव-	-तदैव-	--	--	--	-तदैव-
23.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, होशंगाबाद	-तदैव-	-तदैव-	--	--	--	-तदैव-
24.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इंदौर	-तदैव-	-तदैव-	--	--	--	-तदैव-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
25.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झाबुआ	संसद के अधिनियम द्वारा सौंपा	1998-99 से लेखे नहीं भेजे	--	--	--	144
26.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कटनी	-तदैव-	2002-03 से लेखे नहीं भेजे	--	--	--	96
27.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खंडवा	-तदैव-	1998-99 से लेखे नहीं भेजे	--	--	--	144
28.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंडला	-तदैव-	-तदैव-	--	--	--	-तदैव-
29.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंदसौर	-तदैव-	-तदैव-	--	--	--	-तदैव-
30.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मुरैना	-तदैव-	-तदैव-	--	--	--	-तदैव-
31.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नरसिंहपुर	-तदैव-	-तदैव-	--	--	--	-तदैव-
32.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पन्ना	-तदैव-	-तदैव-	--	--	--	-तदैव-
33.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायसेन	-तदैव-	-तदैव-	--	--	--	-तदैव-
34.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजगढ़	-तदैव-	-तदैव-	--	--	--	-तदैव-
35.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रत्तलाम	-तदैव-	-तदैव-	--	--	--	-तदैव-
36.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रीवा	-तदैव-	-तदैव-	--	--	--	-तदैव-
37.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सागर	-तदैव-	-तदैव-	--	--	--	-तदैव-

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिये राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
38.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीहोर	-तदैव-	-तदैव-	--	--	--	-तदैव-
39.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिवनी	संसद के अधिनियम द्वारा सौंपा	1998-99 से लेखे नहीं भेजे	--	--	--	144
40.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शहडोल	-तदैव-	-तदैव-	--	--	--	-तदैव-
41.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शाजापुर	-तदैव-	-तदैव-	--	--	--	-तदैव-
42.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शिवपुरी	-तदैव-	-तदैव-	--	--	--	-तदैव-
43.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीधी	-तदैव-	-तदैव-	--	--	--	-तदैव-
44.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, टीकमगढ़	-तदैव-	-तदैव-	--	--	--	-तदैव-
45.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उज्जैन	-तदैव-	-तदैव-	--	--	--	-तदैव-
46.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, विदिशा	-तदैव-	-तदैव-	--	--	--	-तदैव-
47.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मण्डलेश्वर	-तदैव-	-तदैव-	--	--	--	-तदैव-
48.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सतना	-तदैव-	-तदैव-	--	--	--	-तदैव-

- विलंब की गणना वित्त वर्ष जिसमें इकाई की स्थापना की गई थी, से की गई है।
- पूर्व वित्त वर्ष के लिये वार्षिक लेखाओं की प्रस्तुति की तिथि 30 जून के रूप में लेते हुए विलम्ब की गणना की गई है।
- कोष्ठक में दिए गये आंकड़े लेखाओं की प्रस्तुति के लिये जारी किए गए पत्र के माह से, माहों में विलम्ब दर्शाते हैं।

परिशिष्ट-3.2
(संदर्भ: कांडिका 3.3 ; पृष्ठ 64)

दुर्विनियोग, गबन आदि के प्रकरणों का विभागवार/अवधि अनुसार विश्लेषण

(₹ लाख में)

सं. क्र.	विभाग का नाम	पांच वर्षों तक		पांच से 10 वर्ष तक		दस से 15 वर्ष		15 वर्षों से 20 वर्ष		20 से 25 वर्ष		25 वर्ष तथा इससे अधिक		प्रकरणों की कुल संख्या	
		प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य विभाग	3	6.62	3	6.06	5	27.80	--0	--	20	18.35	20	9.85	51	68.68
2	2211-परिवार कल्याण	निरंक	निरंक	निरंक	--	--	--	--	--	2	0.34	11	5.10	13	5.44
3	2245-प्राकृतिक आपदाएं	-	-	--	--	--	--	--	--	--	--	-	-	-	-
4	2051-लोक सेवा आयोग	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-	-	-	-
5	2029-भू- राजस्व	--	--	1	0.80	0	0.00	0	0.00	6	2.40	5	0.84	12	4.04
6	2058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.67	--	--	--	--	1	0.67
7	2053-जिला प्रशासन	1	0.01	0	0.00	--	--	--	--	1	0.40	1	0.40	3	0.81
8	2014-न्याय प्रशासन	3	5.65	1	3.70	--	--	2	1.73	--	--	2	0.29	8	11.37
9	2054-कोषालय एवं लेखे (वित्त विभाग)	2	15.00	--	--	2	19.78	--	--	3	1.16	5	12.10	12	48.04
10	2039-राज्य आवकारी	1	0.35	2	0.30	2	0.29	--	--	--	--	3	3.50	8	4.44

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिये राज्य वित्त पर लेखापरीका प्रतिवेदन

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
11	2230-श्रम तथा रोजगार	6	4.03	4	7.38	0	0.00	--	--	--	--	--	--	--	10	11.41
12	2401-कृषि विभाग	5	9.16	4	4.36	--	--	2	1.52	2	0.33	1	0.32	14	15.69	
13	2402-कृषि विभाग	1	0.40	2	0.95	--	--	--	--	--	--	3	0.71	6	2.06	
14	2406-वानिकों तथा वन्य जीवन	167	423.51	237	214.44	433	415.64	379	125.19	634	139.03	438	67.75	2288	1385.56	
15	2408-खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	0	0.00	1	0.01	--	--	--	--	--	--	1	0.52	2	0.53	
16	2425-सहकारिता	1	4.60	2	1.12	--	--	--	--	--	--	--	--	3	5.72	
17	2851-ग्रामोद्योग	2	0.80	1	2.75	--	--	--	--	--	--	1	0.07	4	3.62	
18	2852-ग्रामोद्योग	0	0.00	1	1.03	--	--	--	--	--	--	--	--	1	1.03	
19	2202-स्कूल शिक्षा	62	2680.78	13	18.65	12	6.23	15	8.39	21	12.35	31	13.93	154	2740.33	
20	2203-तकनीकी शिक्षा	14	18.30	5	8.60	--	--	--	--	--	--	--	--	19	26.90	
21	2205-कला एवं संस्कृति	0	0.00	1	0.25	--	--	1	13.12	--	--	--	--	2	13.37	
22	2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	2	43.56	1	1.33	3	1.54	2	2.99	3	0.37	--	--	11	49.79	
23	2505-ग्रामीण रोजगार	1	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.00	
24	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	3	1.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.47	
25	2225-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग का कल्याण	--	--	--	--	4	1.78	16	10.21	6	6.53	12	2.54	38	21.06	
26	2853-खनन	7	0.99	2	0.54	--	--	--	--	--	--	--	--	9	1.53	
27	2030-मुद्रांक एवं पंजीयन	0	0.00	1	0.34	--	--	--	--	1	0.96	--	--	2	1.30	
28	2041-परिवहन	--	--	--	--	--	--	--	--	1	5.64	--	--	1	5.64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
29	2235-पुनर्वास विभाग	--	--	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.19	1	0.19
30	2235-पंचायत	0	0.00	0	00	1	4.04	1	0.14	1	0.10	2	2.83	5	7.11
31	2235-महिला एवं बाल कल्याण	0	0.00	1	1.31	0	0.00	2	1.20	2	1.06	0	0.00	5	3.57
32	2403-पशु सेवाएं	0	0.00	7	1.82	4	4.35	1	0.24	3	0.92	3	5.63	18	12.96
33	2055-पुलिस	180	47.07	211	72.82	40	29.86	17	9.54	4	1.08	--	--	452	160.37
34	जल संसाधन विभाग	7	6.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	6.73
	गोण	468	3269.03	501	348.56	506	511.31	439	174.94	710	191.02	540	126.57	3164	4621.43

परिशिष्ट 3.3

(संदर्भः कंडिका 3.3 ; पृष्ठ 64)

2010-11 के लिए अपलेखनों के प्रकरणों के विभागवार विवरण

क्रम संख्या	विभाग	अपलेखन की स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी	संक्षिप्त विवरण	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ में)
1	2	3	4	5	6
1.	2245-प्राकृतिक आपदाएं	निर्देशक, गैस दुर्घटना राहत एवं पुनर्स्थापना, भोपाल	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास में दिनांक 11.06.08 को चोरी	1	2679.00
2.	2055-पुलिस	पुलिस विभाग	वाहन की दुर्घटना, आदि	10	272467.00
3.	2225-जनजाति कल्याण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग	आयुक्त, जनजाति विकास, भोपाल	भवन गिरने एवं सामग्री के चोरी होने के कारण हानि	7	21992.00
4.	2235-पुनर्वास	पुनर्वास विभाग	हरदा इकाई में तूफान से टीन शेड की हानि	1	28681.00
5.	2853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	मुख्य क्षेत्रीय निर्देशक का कार्यालय, खनन एवं धातुकर्म, रीवा	बोरहोल में बेधान सामग्री जमा होने के कारण हानि	3	27373.00
6.	2415-कृषि	निर्देशक, कृषि, म.प्र.	चोरी होने के कारण हानि	1	8683.83
7.	2406-वानिकी एवं वन्य जीवन	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त एवं बजट) म.प्र., भोपाल तथा वरिष्ठ उपमहालेखाकार	हानि की वसूली न होने के कारण	4	7905.00
8.	-तदैव-	-तदैव-	न्यायालय आदेश के कारण	1	5800.00
9.	-तदैव-	-तदैव-	अग्नि दुर्घटना के कारण	1	550.00
10.	जल संसाधन विभाग	वरिष्ठ जैवकीय निर्देशक, भू संरक्षण इकाई-।, उज्जैन	जल पूर्ति के लिए पूर्व दत्त मीटरों की चोरी	1	33348.00
	योग			30	409478.83

परिशिष्ट 3.4

(संदर्भ: कंडिका 3.3 ; पृष्ठ 64)

चोरी, दुर्विनियोग/सरकारी सामग्रियों की हानि से सरकार को हुई हानि के संबंध में विभाग/संवर्ग के अनुसार विवरण

विभाग का नाम	चोरी के प्रकरण		दुर्विनियोग सरकारी सामग्री की हानि		योग	
	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य विभाग	22	16.28	29	52.40	51	68.68
2211-परिवार कल्याण	0	0.00	13	5.44	13	5.44
2029-भू-राजस्व	0	0.00	12	4.04	12	4.04
2054-कोषालय एवं लेखे	3	15.11	9	32.93	12	48.04
2014-न्याय प्रशासन	3	0.62	5	10.75	8	11.37
2053-जिला प्रशासन	1	0.39	2	0.42	3	0.81
2058-लेखन सामग्री एवं मुद्रण	-	0.00	1	0.67	1	0.67
2030-मुद्रांक एवं पंजीयन	1	0.34	1	0.96	2	1.30
2041-परिवहन	1	5.64	--	0.00	1	5.64
2055-पुलिस	18	32.29	434	128.08	452	160.37
2225-जनजाति कल्याण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग	3	0.11	35	20.95	38	21.06
2235-पंचायत	1	1.23	4	5.88	5	7.11
2235-पुनर्वास विभाग - महिला एवं बाल कल्याण	4	2.26	1	1.31	5	3.57
2235-पुनर्वास	-	0.00	1	0.19	1	0.19
2403-पशुपालन	4	4.14	14	8.82	18	12.96
2853-खनन एवं उत्सर्जन	2	0.54	7	0.99	9	1.53
2039-राज्य आबकारी	4	1.90	4	2.54	8	4.44
2202-स्कूल शिक्षा	70	76.98	84	2663.34	154	2740.32
2203-तकनीकी शिक्षा	12	11.34	7	15.56	19	26.90
2205-कला एवं संस्कृति	2	13.37	0	0.00	2	13.37
2230-श्रम एवं रोजगार	8	4.42	2	7.00	10	11.42
2401-कृषि विभाग	9	4.94	5	10.75	14	15.69

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिये राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

1	2	3	4	5	6	7
2402-कृषि विभाग	4	1.51	2	0.55	6	2.06
2406-वानिकी एवं वन्य जीवन	36	9.61	2252	1375.95	2288	1385.56
2408-खाद्य भंडारण एवं भंडागार	1	0.01	1	0.52	2	0.53
2425-सहकारिता	3	5.72	0	0.00	3	5.72
2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	6	3.39	5	46.40	11	49.79
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	1	1.25	2	0.22	3	1.47
2505-ग्रामीण रोजगार	0	0.00	1	0.00	1	0.00
2851-ग्रामीण एवं लघु उद्योग	1	0.20	3	3.42	4	3.62
2852-ग्रामाद्योग	0	0.00	1	1.03	1	1.03
जल संसाधन विभाग	7	6.73	-	-	7	6.73
योग	227	220.32	2937	4401.11	3164	4621.43

परिशिष्ट 3.5

(संदर्भ: कांडिका 3.4.1 ; पृष्ठ 66)

2010-11 तक के वर्षों के लंबित ब्यौरेवार आकस्मिक व्यय देयक

(₹ करोड़ में)			
स.क्र.	विभाग	आकस्मिक व्यय देयकों की संख्या	राशि
1	2	3	4
1.	विद्युत निरीक्षक, मध्य प्रदेश, भोपाल	243	0.05
2.	राज्य संलेख अधिकारी, मंत्रालय, भोपाल	19	7.59**
3.	आयुक्त, लोक शिक्षण, भोपाल	08	4.05*
4.	उप संचालक, एन.सी.सी., मध्य प्रदेश, भोपाल	151	1.17
5.	संचालक, पिछड़ा वर्ग, भोपाल	37	0.37
6.	पंजीयक, श्रम न्यायालय, मध्य प्रदेश	86	0.16
7.	संचालक, कृषि विभाग, भोपाल	529	6.46
8.	भूमि संरक्षण अधिकारी	264	1.58
योग		1337	21.43

* मुख्य शीर्ष 2202 से संबंधित ₹ 4.03 करोड़ के संक्षिप्त आकस्मिक व्यय देयक दिनांक 29.02.2000 को आग दुर्घटना में नष्ट हो गया जिसके विवरण उपलब्ध नहीं है।

** मुख्य शीर्ष 2070 (राज्य प्रोटोकॉल अधिकारी) से संबंधित ₹ 7.59 करोड़ के संक्षिप्त आकस्मिक व्यय देयक के विवरण एवं गबन मामले में, अन्वेषण अभिकरण द्वारा अभिलेख जब्त कर लिये जाने के कारण, उपलब्ध नहीं है।